

न्यायालय:- विशेष न्यायाधीश (डकैती), गोहद, जिला भिण्ड म0प्र0
(समक्ष: पी0सी0आर्य)

विशेष डकैती प्रकरण क्रमांक: 28/2015

संस्थित दिनांक-23.01.2008

फाईलिंग नंबर-230303001722008

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा-

आरक्षी केन्द्र एण्डोरी, जिला-भिण्ड (म0प्र0)

-----अभियोजन

वि रू द्ध

1. हरीमोहन पुत्र रामस्वरूप राठौर उम्र 32 साल
निवासी ग्राम बिल्हेटी पी0एस0 बिजौली ग्वालियर
हाल सूर्य विहार कॉलोनी ग्वालियर
2. राजेश उर्फ ललैया पुत्र नरेशसिंह भदौरिया
उम्र 41 साल निवासी बकनासा पी0एस0 एण्डोरी
3. संदीप भदौरिया पुत्र नरेशसिंह भदौरिया उम्र 23 साल
निवासी चन्दपुरा पी0एस0 बिजौली जिला ग्वालियर

-----उपस्थित अभियुक्तगण

4. मुन्नालाल सोनी पुत्र धन्नालाल सोनी निवासी
काशीनरेश की गली ग्वालियर
5. जसवंत सिंह पुत्र हरीसिंह सिसौदिया
निवासी चार शहर का नाका ठाकुर
मुहल्ला ग्वालियर म0प्र0

-----फरार अभियुक्तगण

राज्य द्वारा श्री भगवान सिंह बघेल विशेष लोक अभियोजक
आरोपीगण हरीमोहन व संदीप द्वारा श्री के0पी0 राठौर अधिवक्ता
आरोपी राजेश उर्फ ललैया द्वारा श्री जी0एस0 गुर्जर अधिवक्ता

--- निर्णय ---

(आज दिनांक 30 दिसंबर 2015 को खुले न्यायालय में घोषित)

1. अभियुक्तगण हरीमोहन, राजेश उर्फ ललैया एवं संदीप भदौरिया के विरुद्ध धारा 394, 302, 34 भा0द0वि0 सहपठित धारा-11, 13 एम0पी0डी0व्ही0पी0के0 एक्ट एवं विकल्प में धारा-396, 302, 201 सहपठित धारा-11, 13 एम0पी0डी0व्ही0पी0के0 एक्ट के अंतर्गत आरोप है कि उन्होंने दिनांक 21-22 सितंबर 2006 के बीच की रात ग्राम बरौना का हार पोखरिया वाली पुलिया भौनपुरा थाना एण्डोरी जिला भिण्ड के डकैती प्रभावित क्षेत्र में अपने सह आरोपियों के साथ एक राय होकर अपने सामान्य आशय को अग्रसर करने में

सौरभ चतुर्वेदी से क्वालिस गाड़ी क्रमांक-एच0आर0-37 ए-7428 लूटी, सौरभ चतुर्वेदी की हत्या साशय की वं स्वयं का दण्ड से बचाने के लिये हत्या और लूट की साक्ष्य का विलोपन किया।

2. प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि घटना दिनांक 21-22 सितंबर-2006 को घटनास्थल ग्राम बरौना का हार पोखरिया वाली पुलिया भौनपुर थाना एण्डोरी जिला भिण्ड मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क्रमांक-एफ-91.07.81 बी-21 दिनांक 19.05.1981 की अनुसूची के कॉलम क्रमांक-2 के अनुसार मध्यप्रदेश डकैती और व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम 1981 के प्रभावशील क्षेत्राधिकार के अंतर्गत था। तथा यह भी निर्विवादित है कि प्रकरण में आरोपी मुन्नालाल सोनी एवं जसवंतसिंह के विरुद्ध धारा-299 दप्रसं के अंतर्गत फरारी कार्यवाही कर उन्हें फरार घोषित किया गया है। यह भी स्वीकृत तथ्य है कि मृतक सौरभ चतुर्वेदी पुत्र गिरीश चतुर्वेदी के रूप में शिनाख्त हुआ था। यह भी स्वीकृत है कि मृतक ड्रायवरी करता था। तथा यह भी निर्विवादित है कि प्रकरण में जप्तशुदा क्वालिस क्रमांक-एचआर-37ए-7428 का पंजीकृत स्वामी हरीश तलरेजा था। यह भी स्वीकृत है कि आरोपी हरीमोहन और आरोपी संदीप थाना झांसी रोड ग्वालियर के आर्टिकल-1 ए की एफ0आई0आर0 संबंधित अपराध में प्र0डी0-2 मुताबिक दोषमुक्त हो चुके हैं।
3. अभियोजन के अनुसार घटना इस प्रकार बताई गई है कि दिनांक 22.09.06 को थाना एण्डोरी पर ग्राम बरौना के चौकीदार रामभरोसे पुत्र रामचरन कड़ेरे के द्वारा इस आशय की सूचना दी गई कि वह हार में चारा लेने जा रहा था तब पुलिया के पास उसे भीड़ मिली। उसने भी मौके पर जाकर देखा तो एक अज्ञात व्यक्ति की लाश पुलिया के अंदर पड़ी थी। जो पहचानने में नहीं आ रहा था जिसके शरीर पर चड्डी बनियान थी जिस पर से थाना एण्डोरी ने धारा-174 दप्रसं के अंतर्गत मर्ग क्रमांक-11/06 प्र0पी0-1 पंजीबद्ध कर घटना को जांच में लिया गया। जांच के दौरान अज्ञात मृतक की लाश का सफीना फॉर्म जारी कर लाश पंचायतनामा बनाकर शव परीक्षण सी0एच0सी0 गोहद से कराया गया जिसके आधार पर अज्ञात व्यक्ति की किन्हीं अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा हत्या करना पाये जाने से धारा-302 भा0द0वि0 के अंतर्गत अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध अप0क्र0-75/06 दिनांक 25.09.06 को प्र0पी0-16 कायम कर अनुसंधान में लिया गया। एवं अनुसंधान के दौरान घटनास्थल का हलका पटवारी से जांच कराई जाकर नक्शामौका प्र0पी0-17 तैयार कराया गया। जिस पर से घटना ग्राम बरौना के पटवारी हलका नंबर-13 तहसील गोहद के अंतर्गत थाना एण्डोरी के क्षेत्रान्तर्गत ग्राम बरौना की सड़क की पुलिया के नीचे की पाई गई। मृतक की शिनाख्त न होने से शव परीक्षण उपरान्त उसका बंधे के पास श्मशान घाट गोहद पर अंतिम संस्कार पंचान के समक्ष किया जाकर प्र0पी0-19 का पंचनामा तैयार किया गया।
4. अनुसंधान के दौरान दिनांक 03.01.07 को थाना झांसी रोड जिला ग्वालियर में पदस्थ प्र0आर0 रविन्द्रसिंह को इस आशय की सूचना रात्रि करीब 9.05 बजे प्राप्त हुई कि विक्की फैक्ट्री रेलवे ब्रिज झांसी रोड के पास तीन बदमाश क्वालिस गाड़ी में बैठे हुए चोरी व गंभीर वारदातों की योजना बना रहे हैं। उक्त सूचना से उसके द्वारा सी0एस0पी0 एवं थाना प्रभारी झांसी रोड से निर्देश प्राप्त किये गये। निर्देशानुसार ए0एस0आई0 के0एस0 भदौरिया मय पुलिस बल के

विक्की फैक्ट्री चौराहा रेलवे ब्रिज के पास पहुंचा। वहाँ एक क्वालिस गाड़ी रोड़ किनारे खड़ी दिखी जिसे साथ गये पुलिस बल एवं गवाह पहाड़सिंह एवं राजेश वंशकार के घेराबंदी की तो गाड़ी में बैठे हुए तीन बदमाश आपस में यह बातचीत करते हुए पाये गये कि आज चेतकपुरी में चोरी करना है, अच्छा माल मिलेगा जो साथ गये गवाहों व पुलिस बल ने भी सुनी। फिर उक्त तीनों व्यक्तियों को पुलिस बल की मदद से पकड़ा गया। पूछताछ करने पर उन्होंने अपने नाम हरिमोहन राठौर, संदीप भदौरिया एवं राजेश उर्फ ललई तोमर बताये जिनकी तलाशी लिये जाने पर राजेश उर्फ ललई तोमर से एवं संदीप भदौरिया से एक एक 315 बोर के कट्टे व दो दो जिन्दा कारतूस मिले। क्वालिस गाड़ी के संबंध में पूछताछ करने पर यह जानकारी मिली कि उक्त क्वालिस गाड़ी कंपू क्षेत्र से किराये पर लेकर उसके चालक सौरभ चतुर्वेदी की हत्या कर लूट करके ले जाना बताई। अनुसंधान के दौरान मृतक के हाथ की उंगलियों के पोरों एवं उसके फोटो के आधार पर मृतक के पिता गिरीश चतुर्वेदी के द्वारा मृतक की पहचान की गई जिसमें यह पाया गया कि मृतक सौरभ क्वालिस गाड़ी पर ड्रायवरी करता था। जो गाड़ी हरीश तलरेजा की थी जिसे बरेलाल बाथम ने क़य कर लिया था जो गाड़ी की देखरेख करता था।

5. अनुसंधान के दौरान संकलित हुई साक्ष्य के आधार पर विचाराधीन आरोपीगण सहित फरार अभियुक्तगण मुन्नालाल सोनी व जसवंतसिंह के द्वारा मृतक सौरभ चतुर्वेदी से क्वालिस गाड़ी क्रमांक-एच0आर0-37 ए-7428 की डकैती प्रभावित क्षेत्र से लूट की जाना और उसकी हत्या की जाना। एवं स्वयं को दण्ड से बचाने के लिये लूट की साक्ष्य का विलोपन किया जाना पाये जाने से अनुसंधान उपरान्त आरोपीगण के विरुद्ध अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

6. अभियोग पत्र एवं संलग्न प्रपत्रों के आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 394, 302, 34 भा0द0वि0 सहपठित धारा-11, 13 एम0पी0डी0व्ही0पी0के0 एक्ट एवं विकल्प में धारा-396, 302, 201 सहपठित धारा-11, 13 एम0पी0डी0व्ही0पी0के0 एक्ट के अंतर्गत आरोप लगाये जाने पर उन्होंने जुर्म अस्वीकार किया। धारा 313 जा0 फौ0 के तहत लिये गये अभियुक्त परीक्षण में अभियुक्तगण ने पुलिस के द्वारा झूठी शाबाशी लेने के लिये अंधे कत्ल में झूठा फंसाये जाने का आधार लिया है। आरोपीगण की ओर से बचाव में हरीमोहन ब0सा0-1 एवं बलरामसिंह ब0सा0-2 का परीक्षण कराया गया है।

7. प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न यह है कि :-

1. क्या आरोपीगण ने दिनांक 21-22 सितंबर 2006 के बीच की रात ग्राम बरौना का हार पोखरिया वाली पुलिस थाना भौनपुरा थाना एण्डोरी जिला भिण्ड के डकैती प्रभावित क्षेत्र में अपने सह आरोपियों के साथ एक राय होकर अपने सामान्य आशय को अग्रसर करने में सौरभ चतुर्वेदी से क्वालिस गाड़ी क्रमांक-एच0आर0-37 ए-7428 लूटी?
2. क्या आरोपीगण ने उसी ससंगत दिनांक स्थान व समय पर ही

सौरभ चतुर्वेदी की हत्या की?

3. क्या आरोपीगण ने उसी सुसंगत दिनांक स्थान व समय पर ही स्वयं को दण्ड से बचाने के लिये हत्या या लूट की साक्ष्य का विलोपन किया?

—निष्कर्ष के आधार :—

विचारणीय प्रश्न क्रमांक— 1, 2 एवं 3 का निराकरण

8. उपरोक्त समस्त विचारणीय प्रश्नों का निराकरण साक्ष्य की पुनरावृत्ति से बचने के लिये एवं सुविधा की दृष्टि से एक साथ किया जा रहा है।
9. परीक्षित साक्षियों में से रामभरोसी अ०सा०-2 ने अपने अभिसाक्ष्य में पक्ष विरोधी होते हुए घटना के विषय में कोई जानकारी होने से इन्कार किया है। अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी घोषित कर पूछे गये सूचक प्रश्नों में उसने यह तो स्वीकार किया है कि जब वह हार में चारा लेने जा रहा था तब पुलिया के पास भीड़ थी। वहाँ उसने जाकर देखा था तो एक व्यक्ति पुलिया के पास मरा पड़ा था जिसकी उसने थाना एण्डोरी में सूचना दी थी। सूचना के बाद पुलिस घटनास्थल पर आई थी और पुलिस ने प्र०पी०-1 की लिखापट्टी की थी फिर वह खाना खाने चला गया था। लौटकर जब आया था तब पुलिस ने उसके हस्ताक्षर करा लिये थे। प्र०पी०-1 की अकाल मृत्यु की सूचना पर साक्षी अपने हस्ताक्षर स्वीकार करता है। नक्शामौका पर हस्ताक्षर से उसने इन्कार किया है। प्र०पी०-15 के नक्शामौका पर उसने अपना नाम लिखा होना अवश्य बताया है। उसने यह भी स्वीकार किया है कि पुलिस ने मौके पर खून आलूदा एवं सादा मिट्टी जप्त कर जप्ती पंचनामा प्र०पी०-2 बनाया था तथा पुलिया के नीचे से लाश निकलवाई थी जिसका प्र०पी०-3 का लाश निकालने का पंचनामा बनवाया था जिस पर उसने अपने हस्ताक्षर स्वीकार किये हैं। इस साक्षी के मुताबिक जब लाश निकलवाई गई थी तब वह खाना खाने चला गया था। फिर लौटकर उसने कागजों पर हस्ताक्षर करना कहा है। यह भी कहा है कि खून आलूदा सादा मिट्टी उसके सामने जप्त नहीं हुई थी। उसके मुताबिक मृतक पेन्ट शर्ट पहने था।
10. इस प्रकार से रामभरोसी अ०सा०-2 के द्वारा प्र०पी०-1 की अकाल मृत्यु सूचना की पुष्टि पक्ष विरोधी घोषित होने के बावजूद की गई है और यह सुस्थापित विधि है कि यदि कोई साक्षी अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी घोषित किया जाता है तो केवल उसके आधार पर ही उसके अभिसाक्ष्य को अग्राह्य नहीं किया जा सकता है। यदि उसकी अभिसाक्ष्य में कोई तथ्य समर्थकारी प्राप्त होते हैं तो उन्हें ग्रहण किया जा सकता है। इस संबंध में न्याय दृष्टांत **तूफानसिंह विरुद्ध स्टेट ऑफ़ एम०पी० 2005 (1) एम०पी०सी०जे० पेज-412** में प्रतिपादित सिद्धान्त अवलोकनीय है। ऐसी स्थिति में रामभरोसी अ०सा०-2 प्र०पी०-1 के संबंध में विश्वास किये जाने योग्य साक्षी है। नक्शामौका प्र०पी०-15 और खून आलूदा व सादा मिट्टी के जप्ती पत्रक प्र०पी०-2 के संबंध में अवश्य उसका समर्थन नहीं है। किन्तु प्र०पी०-3 के लाश निकलवाने संबंधी पंचनामा में भी उसने

समर्थन किया है। अतः प्र0पी0-1 व 3 के उक्त दस्तावेज उक्त साक्षी की अभिसाक्ष्य से प्रमाणित होते हैं। इसलिये प्र0पी0-1 व 3 के अन्य साक्षियों के परीक्षित न होने का कोई दुष्प्रभाव अभियोजन के मामले पर नहीं माना जा सकता है और अ0सा0-2 के अभिसाक्ष्य से यह प्रमाणित होता है कि दिनांक 22.09.06 को उसके द्वारा सड़क की पुलिया ग्राम बरौना थाना एण्डोरी के नीचे एक अज्ञात व्यक्ति की लाश मिली थी।

11. प्रकरण में ए0एस0आई0 हाकिमसिंह अ0सा0-10 ने अपने अभिसाक्ष्य में यह व्यक्त किया है कि दिनांक 22.09.06 को वह थाना एण्डोरी में पदस्थ था। तब मार्ग क्रमांक-11/06 धारा-174 दप्रसं के तहत कायमी प्र0पी0-1 की मार्ग सूचना उसे जांच हेतु प्राप्त हुई थी। जांच के दौरान उसने मृतक की लाश पंचनामा की कार्यवाही की थी और प्र0पी0-5 का सफीना फॉर्म जारी किया था तथा अज्ञात मृतक की लाश के शव परीक्षण हेतु प्र0पी0-4 का आवेदन पत्र तैयार किया था और निरीक्षण करके घटनास्थल का प्र0पी0-15 का नक्शामौका उसने तैयार किया था तथा घटनास्थल से खून आलूदा और सादा मिट्टी अलग-अलग पॉलीथीन में जप्त की थी और एक खण्डा जिसमें खून लगा था उसको तुड़वाकर खून लगे हिस्से को पॉलीथीन में अलग से रखकर सीलबंद किया था जिसका प्र0पी0-2 का जप्ती पत्रक तैयार किया था और मार्ग जांच उपरान्त प्र0पी0-16 की एफ0आई0आर0 लेखबद्ध कर अज्ञात के विरुद्ध अप0क्र0-75/06 धारा-302 भा0द0वि0 की कायमी की थी। तथा विवेचना थाना प्रभारी राहुल शर्मा के सुपुर्द की थी। अ0सा0-10 हाकिमसिंह ने अपने अभिसाक्ष्य में यह स्वीकार किया है कि अज्ञात व्यक्ति के शव परीक्षण की रिपोर्ट रिपोर्ट प्राप्त हुई थी उसमें मृत्यु की प्रकृति हत्यात्मक होना उल्लेख नहीं था। यह भी स्वीकार किया है कि मार्ग जांच के दौरान उसने किसी भी साक्षी के कथन नहीं लिये थे। इस बात से इन्कार किया है कि रामभरोसी को घर से बुलाकर उसके प्र0पी0-1 पर हस्ताक्षर करा लिये थे और उसके सामने खून आलूदा व सादा मिट्टी जप्त नहीं की गई।
12. अ0सा0-10 हाकिमसिंह के अभिसाक्ष्य से प्र0पी0-2 के जप्ती पत्रक और प्र0पी0-4 के शव परीक्षण हेतु आवेदन पत्र की कार्यवाही किया जाना प्रमाणित होता है। उसके द्वारा मौके से खून आलूदा व सादा मिट्टी एवं एक चौकोर खण्डे का वह भाग जिस पर खून लगा था उसकी जप्ती किया जाना प्रमाणित होता है क्योंकि प्र0पी0-2 में इस आशय का भी नोट अंकित हो कि खण्डे में लगे खून के धब्बे को छैनी हथौड़ा से पृथक कराकर पृथक से सीलड किया गया है और प्र0पी0-2 के कॉलम नंबर-13 में सील नमूना की छाप भी अंकित है। इससे उक्त कार्यवाही अ0सा0-10 के अभिसाक्ष्य से प्रमाणित होती है।
13. अभिलेख पर रासायनिक विज्ञान प्रयोगशाला ग्वालियर की जांच रिपोर्ट प्र0पी0-24 भी संलग्न है जिसमें जो वस्तुएं रासायनिक विश्लेषण के लिये भेजी गई थी उनमें आर्टिकल ए एवं बी के रूप में खून आलूदा व सादा मिट्टी व आर्टिकल-सी के रूप में खण्डे का टुकड़ा जिस पर खून के धब्बे थे, उनके संबंध में इस आशय की रिपोर्ट दी गई है कि आर्टिकल-ए व सी के धब्बे विघटित पाये गये जिन पर बी ग्रुप का रक्त पाया गया था। प्र0पी0-24 में इस आशय का भी नोट अंकित है कि पुलिस अधीक्षक के ज्ञापन में पैकेट सी में खुरचन लेख किया गया था किन्तु खोलने पर उसमें पत्थर के टुकड़े पाये गये, खुरचन नहीं पाई

गई। ऐसे में खून आलूदा सादा मिट्टी व पत्थर के संबंध में रासायनिक परीक्षण की रिपोर्ट सकारात्मक नहीं पाई गई है इसलिये प्र०पी०-2 के जप्ती पत्रक के प्रमाणित होने के बावजूद उस पर से कोई निष्कर्ष प्राप्त नहीं होता है।

14. आर्टिकल ए 1 की एफ आई आर मुताबिक थाना झांसी रोड पर तत्कालीन प्रधान आरक्षक रविन्द्र सिंह चौहान को जो मुखबिर की सूचना प्राप्त होना बतायी गयी कि विक्की फैंक्टी रेलवे ब्रिज के पास तीन बदमाश हथियार लिये हुए चोरी व गंभीर वारदात की योजना बना रहे हैं उनके तस्दीख के लिए जिन लोगों का जाना बताया गया है उसमें ए.एस.आई. के०एस० भदौरिया, ए०एस०आई० जयसिंह सोढी, प्र०आर० रामकिशन पाण्डेय, पीसीआर वाहन चालक सुनील, आरक्षक महेन्द्र, मानपाल, प्रदीपसिंह, शाकिर, जहान सिंह और आम जनता के व्यक्ति पहाड़ सिंह व राजेश का जाना बताया गया है अर्थात् रविन्द्र सिंह चौहान अ.सा.-15 मौके पर एफ आई आर मुताबिक नहीं गया था। जबकि आर्टिकल ए-1 व ए-2 की कार्यवाही उसके द्वारा ही करना बतायी गयी है। आर्टिकल ए-1 के मुताबिक रविन्द्र सिंह चौहान मौके पर नहीं गया जबकि आर्टिकल ए-2 मुताबिक जो जब्ती क्वालिस गाडी की दि०-03/01/2007 को रात 10 बजे की जाना बतायी गयी है कि वह विक्की फैंक्टी के पास रेलवे ब्रिज के पास आरोपी हरीमोहन से करना बताया है जिसका किसी भी स्वतंत्र साक्षी से समर्थन नहीं है और अ.सा.-15 ने विचाराधीन मामले में न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में स्वयं का पुलिस बल के साथ मौके पर जाना बताया है। ए.एस.आई. के०एस० भदौरिया, ए.एस.आई. जयसिंह सोढी व अन्य पुलिस बल के बारे में नहीं बताया है। प्रदर्श डी.-2 के रूप में जो आर्टिकल ए.-1 की एफआईआर पर आधारित दाण्डिक प्रकरण की निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि पेश की गयी है उसके मुताबिक राजेश वंशकार जो कि संबंधित मामले में साक्षी के रूप में पेश हुआ था उसमें भी समर्थन नहीं किया था तथा उसमें भी किसी आरोपी का कोई मेमोरेण्डम कथन लिये जाने का नहीं है। इसलिये आर्टिकल ए-1 व ए-2 के बारे में आपस में ही विरोधाभासी स्थिति होने से वे इस आधार पर भी संदिग्ध प्रतीत होते हैं।
15. अ०सा०-10 हाकिमसिंह ने प्र०पी०-15 का नक्शामौका भी तैयार करना बताया है जिसमें घटनास्थल बाराहेट भौनपुरा रोड पर सड़क की पुलिया है जिसे क्रमांक-1 से चिह्नित किया गया है और प्रकरण में पटवारी रमाकान्त दुबे अ०सा०-11 के रूप में परीक्षित हुआ है जिसने पुलिस एण्डोरी के बुलाये जाने पर घटनास्थल पर जाकर उस स्थान का नक्शामौका तैयार करना कहा है जहाँ अज्ञात व्यक्ति की लाश पड़ी हुई मिली थी जिसे प्र०पी०-17 के रूप में उसने तैयार करना बताया है और उसके संबंध में कोई अन्यथा स्थिति प्रकट नहीं हुई है। इसलिये प्र०पी०-15 एवं 17 के नक्शामौका में समानता है अतः अज्ञात व्यक्ति की लाश बाराहेड बरौना रोड के सड़क की पुलिया के नीचे होना प्रमाणित होता है जिससे प्र०पी०-1 के वृत्तांत की पुष्टि होती है।
16. अ०सा०-10 हाकिमसिंह के द्वारा अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध हत्या का मामला मर्ग जांच पर से पंजीबद्ध करना बताया है किन्तु मर्ग जांच के दौरान उसने किसी साक्षी का कोई कथन नहीं लिया एवं शव परीक्षण रिपोर्ट के बारे में भी उसकी यह स्वीकारोक्ति है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु की प्रकृति हत्यात्मक उल्लेखित नहीं थी। उसके द्वारा मृत्यु की प्रकृति के संबंध में शव परीक्षण करने वाले चिकित्सक से कोई क्वेरी भी नहीं कराई गई है ऐसे में अ०सा०-10 की

साक्ष्य औपचारिक स्वरूप की हो जाती है और इससे केवल इस बात की पुष्टि होती है कि अज्ञात व्यक्ति की जो लाश मिली थी, वह स्वाभाविक मृत्यु की नहीं थी।

17. प्रकरण में अज्ञात व्यक्ति की लाश का शव परीक्षण करने वाले चिकित्सक डॉ० आलोक शर्मा को अ०सा०-3 के रूप में परीक्षित कराया गया है जिसने अपने अभिसाक्ष्य में दिनांक 22.09.06 को सी०एच०सी० गोहद में मेडिकल ऑफीसर के पद पर परस्थ रहते हुए अज्ञात मृतक के शव को थाना एण्डोरी के आरक्षक बैजनाथ क्रमांक-244 द्वारा लाये जाने पर उसका परीक्षण किया था जिसका परीक्षण करने पर उसके बाह्य परीक्षण में मृतक सामान्य कद काठी का पाया था जिसके शरीर पर चड़ड़ी तथा बनियान मौजूद थी। गर्दन में चारों तरफ 0.8 से 1.2 से०मी० चौड़ाई का फंदे का निशान मौजूद था। गठान का निशान बाईं तरफ गर्दन में था। मुंह में दांयी तरफ लार के निशान मौजूद थे। बांयी आंख धंसी हुई थी। बाईंजाईगोमेटिक बाईंमैग्जिला हड्डी टूटी हुई थी शरीर में अकड़न मौजूद थी। पंजे बाहर की तरफ मुड़े हुए थे। चड़ड़ी में वीर्य के निशान मौजूद थे। गर्दन में मौजूद निशान को काटने पर अंदर खून के कण मौजूद थे। तथा आंतरिक परीक्षण में आहत की सिल्ली मस्तिष्क तथा मेरुरज्जा साबुत थी। कंठ तथा श्वासनली मुंह तथा ग्रासनली, फैंफड़े, जिगर, तिल्ली कन्जस्टेड थे। मृतक के पेट में अधपचे खाने के कण मौजूद थे।

18. इसी साक्षी अ०सा०-3 डॉ० आलोक शर्मा ने शव परीक्षण उपरान्त प्र०पी०-4 की शव परीक्षण रिपोर्ट तैयार करना बताते हुए मृत्यु शव परीक्षण के समय से 6 से 24 घण्टे के भीतर की बताते हुए यह अभिमत दिया है कि मृतक की मृत्यु फांसी के द्वारा दम घुटने से हुई थी और मृतक के शरीर पर जो चोटें मौजूद थीं वह मृत्यु पूर्व की थीं तथा यह भी स्पष्ट किया है कि मृतक की गर्दन पर फंदे के निशान के अलावा और चोट के निशान नहीं पाये गये थे तथा मृतक की गर्दन पर पाये गये निशान फंदे के होने के संबंध में मिलान करने हेतु कोई वस्तु उनके पास नहीं भेजी गई थी। पैरा-2 में यह भी स्वीकार किया है कि तौलिया या साफी भी उनके पास जांच हेतु नहीं भेजी गई थी। उसने मृतक का विसरा रासायनिक परीक्षण हेतु संरक्षित नहीं किया था और मृतक अज्ञात था। उसकी पहचान के लिये मृतक के हाथ की उंगलियों के प्रथम पोर, अंगुष्ठ चिन्हों को संरक्षित करके पुलिस को दिये गये थे।

19. इस प्रकार से डॉ० आलोक शर्मा अ०सा०-3 के अभिसाक्ष्य मुताबिक मृतक के चेहरे पर, गर्दन के चारों तरफ फांसी के निशान के अलावा और कोई चोट नहीं पाई गई थी। मुंह पर दांयी तरफ लार के निशान भी मौजूद थे और बाईं आंख धंसी हुई थी। तथा बाईंजाईगोमेटिक एवं बाईंमैग्जिला हड्डी टूटी पाई गई जिससे यही प्रकट होता है कि मृतक की मृत्यु गले में किसी चीज से फांसी के कारण दम घुटने से हुई थी। चिकित्सक का ऐसा अभिमत भी नहीं है कि मृत्यु की प्रकृति क्या थी। किन्तु शव परीक्षण में मृतक की गर्दन के चारों तरफ फंदे के निशान 0.8 से 1.2 से०मी० चौड़ाई के पाये जाना, गर्दन की बाईं तरफ गठान और दांयी तरफ मुंह से लार निकलने की परिस्थिति साथ ही मृतक के पहने हुए कपड़ों में चड़ड़ी में वीर्य का निशान मिलना यह दर्शाता है कि मृतक के गले में किसी वस्तु से फंदा लगाकर गला घोटकर उसे मारा गया है। यदि मृत्यु की प्रकृति आत्महत्यात्मक होती तो संभव है किसी पत्थर या अन्य स्थान पर जहाँ से

झूला जा सके वहाँ मिलना चाहिए था। जबकि घटनास्थल खुला स्थान है और लाश जमीन पर पुलिया के नीचे पाई गई जिससे मृत्यु की प्रकृति हत्यात्मक होना ही दर्शित होती है। हालांकि अनुसंधान में पुलिस द्वारा जप्त किये गये मृतक के पेन्ट शर्ट एवं घटनास्थल के पास से जप्त बताई गई साफी को भेज कर शव परीक्षण करने वाले चिकित्सक से राय लेनी चाहिए थी कि उक्त साफी से गला घोंटा गया या नहीं और गर्दन के चारों तरफ जो फांसी के निशान पाये गये थे, उनसे जांच कर मिलान करते हुए चिकित्सक अभिमत दे सकता था। किन्तु उसकी ओर साफी जांच के लिये नहीं भेजी गई। जबकि आरोपी हरीमोहन से प्र0पी0-8 के मेमोरेण्डम के आधार पर प्र0पी0-12 के द्वारा उसी साफी को जप्त करना बताया गया है जिससे मृतक सौरभ की गला घोटकर हत्या की गई थी, यह अवश्य एक अनुसंधान की कमी प्रकट हुई है।

20. प्र0पी0-5 के सफीना फॉर्म व प्र0पी0-6 के लाश पंचायतनामा के पंच साक्षी रामनिवास अ0सा0-4 एवं ग्राम नागौर के कोर्टवार हरदयाल अ0सा0-5 के द्वारा अभियोजन का समर्थन नहीं किया गया है और वह पक्ष विरोधी रहे हैं। साक्षी रामनिवास ने प्र0पी0-5 व 6 पर अपने हस्ताक्षर और हरदयाल द्वारा दोनों दस्तावेजों पर अंगुष्ठ चिन्ह पुलिस के कहने पर थाने पर करना बताये हैं। उक्त दोनों साक्षियों के अभिसाक्ष्य से किसी भी तथ्य के प्रमाणन में कोई समर्थन प्राप्त नहीं होता है क्योंकि अज्ञात व्यक्ति की लाश मिलना और उसका ही शव परीक्षण होना ऊपर साक्षियों के किये गये विश्लेषण में स्पष्ट हो चुका है। इसलिये अ0सा0-4 व 5 के समर्थन न करने का कोई दुष्प्रभाव अभियोजन पर नहीं माना जा सकता है क्योंकि प्र0पी0-5 की कार्यवाही ए0एस0आई0 हाकिमसिंह अ0सा0-10 ने और प्र0पी0-6 की कार्यवाही निरीक्षक राहुल शर्मा अ0सा0-19 ने अपने अभिसाक्ष्य से प्रमाणित की है।

21. मृतक के पिता गिरीश चतुर्वेदी अ0सा0-6 ने अपने अभिसाक्ष्य में यह बताया है कि सौरभ उसका पुत्र था जो ग्वालियर में रहकर प्राईवेट रूप से ड्रायवरी का काम करता था और सितंबर-2006 में उसका पुत्र वायरलेस निरीक्षक बी0एल0 बाथम की गाड़ी चलाता था। उसी दौरान बी0एल0 बाथम की गाड़ी बुकिंग होकर बाहर गयी थी जिसे उसका पुत्र सौरभ चलाकर ले गया था और कई दिनों तक गाड़ी वापिस नहीं आई थी। तब बी0एल0 बाथम का फोन उसके पास भी आया था कि उनके पुत्र का पता नहीं लग रहा है और उसे बी0एल0 बाथम द्वारा फोन से यह बताया गया था कि सौरभ गाड़ी लेकर बाहर गया है जो वापस नहीं आया है और उसका कोई पता नहीं लग रहा है। फिर उसने भी सौरभ को फोन लगाया था लेकिन फोन नहीं लग रहा था। फिर बी0एल0 बाथम ने उसे फोन करके ग्वालियर बुलाया था और यह बताया था कि एण्डोरी थानान्तर्गत किसी का मर्डर हो गया है, जाकर देख लो तब वह बी0एल0 बाथम एवं उसके चाचा प्रेमप्रकाश, छोटा भाई कौशल व पडोसी रामशंकर थाना एण्डोरी गये थे तब थाना एण्डोरी के दरोगा जी ने उन्हें घटना के बारे में बताते हुए मोबाईल में एक मृतक का फोटो दिखाया था जो उसके पुत्र सौरभ का था जिसके आधार पर उसने अपने पुत्र की शिनाख्त की थी। शिनाख्ती पंचनामा प्र0पी0-4 बनाना कहा है जिस पर ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं और पुलिस ने उसकी पहचान भी ली थी। उक्त साक्षी ने यह भी कहा है कि उसे घटना के बारे में जानकारी नहीं है कि किसने कारित की है क्योंकि वह

उत्तरप्रदेश में रहता है और उसके पुत्र की हत्या मध्यप्रदेश में हुई थी। इसी प्रकार का समर्थनकारी साक्ष्य प्रेमप्रकाश अ0सा0-7 ने भी देते हुए प्र0पी0-7 के पंचनामा पर बी से बी भाग पर अपने हस्ताक्षर बताते हुए मृतक के फोटो के आधार पर सौरभ चतुर्वेदी के रूप में पहचान करना बताया है तथा रामशंकर अ0सा0-8 ने भी मृतक का फोटो और सी0डी0 देखकर सौरभ की पहचान बताई है। प्र0पी0-7 की कार्यवाही निरीक्षक राहुल शर्मा अ0सा0-19 ने करना बताई है और प्र0पी0-7 के संबंध में कोई अन्यथा स्थिति उसके अभिसाक्ष्य में प्रकट नहीं हुई है। पैरा-22 में उसने सुझाव देने पर इस बात से इन्कार किया है कि गिरीश और प्रेमप्रकाश के सामने प्र0पी0-7 की शिनाख्ती की कार्यवाही नहीं हुई। इस प्रकार से अ0सा0-6 व 7 एवं 19 के अभिसाक्ष्य से प्र0पी0-7 की शिनाख्ती कार्यवाही प्रमाणित होती है जिससे मृतक की सौरभ चतुर्वेदी के रूप में पहचान सुनिश्चित हो जाती है जो कि गिरीश चतुर्वेदी का पुत्र था और प्राइवेट ड्रायवरी का काम करता था।

22. मृतक के शव परीक्षण के समय उंगलियों के प्रथम पोर व अंगुष्ठ को पहचान की दृष्टि से चिकित्सक द्वारा संरक्षित किया गया था, उसे प्र0पी0-14 मुताबिक जप्त किया जाना बताया गया है जिसके संबंध में आरक्षक लाखन अ0सा0-9 एवं प्र0आर0 कोकसिंह अ0सा0-13 परीक्षित कराये गये हैं। लाखन ने अपने अभिसाक्ष्य में दिनांक 23.09.06 को थाना एण्डोरी में पदस्थ रहना बताते हुए आरक्षक बैजनाथ के द्वारा अस्पताल गोहद से एक मृतक के कपड़ों की सीलबंद पोटली तथा दो अन्य पोटलियों में मृतक की पांच पांच दोनों हाथों की उंगलियों के पोरों को पेश करने पर एच0सी0एम0 विद्याचरण मिश्रा द्वारा जप्ती कर प्र0पी0-14 का जप्ती पत्रक बनाना बताया है। ऐसा ही कथन प्र0आर0 कोकसिंह अ0सा0-13 ने भी अपने अभिसाक्ष्य में बताया है। दोनों साक्षियों के कथनों में एकदूसरे का समर्थन है किन्तु प्र0पी0-14 के लेखक के पेश न होने से अभियोजन के मामले पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है और प्र0पी0-14 का जप्ती पत्रक अ0सा0-9 व 13 के कथन से प्रमाणित हो जाता है। हालांकि संरक्षित की गई उंगलियों पर अंगुष्ठ के पोरों से पहचान की कार्यवाही नहीं हुई है इसलिये उक्त साक्षी औपचारिक स्वरूप के साक्षी हो जाते हैं क्योंकि मृतक की शिनाख्ती उसके पिता व अन्य रिश्तेदारों के द्वारा फोटो के आधार पर की गई है।

23. मृतक की अज्ञात लाश के दाह संस्कार के संबंध में नाथूसिंह तोमर अ0सा0-16 के द्वारा इस आशय की साक्ष्य दी गई है कि 8-9 साल पहले वह सवारी जीप चलाता था तब थाना एण्डोरी के थाना प्रभारी राहुल शर्मा के द्वारा ग्राम बरौना की पुलिया क नीचे अज्ञात व्यक्ति की लाश मिली थी जिसे वह पुलिस के कहने पर अपनी जीप में रखकर पोस्टमार्टम के लिये गोहद अस्पताल लाया था। पोस्टमार्टम के बाद गोहद में बंधा के पास श्मशान घाट में अंतिम संस्कार करा दिया गया था उस समय ग्राम बाराहेट, नीमडाड़ा और ग्राम नागौर के चौकीदारों को भी बुलाया था और उनके सामने लाश को दफनाया गया था जिसका प्र0पी0-19 का पंचनामा बनाया गया था। यह भी स्पष्ट किया है कि जिस व्यक्ति की लाश थी उसकी उम्र 25 से 30 साल की थी लेकिन वह कौन था, कहाँ का था, वह नहीं जानता है। मृतक के बारे में उसे कोई जानकारी नहीं थी। इस तरह से उक्त साक्षी केवल अज्ञात व्यक्ति के शव परीक्षण के पश्चात अंतिम संस्कार पुलिस द्वारा किये जाने की साक्ष्य देता है जिसके संबंध में अन्यथा

निष्कर्ष की आवश्यकता नहीं है।

24. प्रकरण में थाना झांसी रोड जिला ग्वालियर के अप0क्र0-03/07 के मामले में जो मुखबिर की सूचना पर से आरोपीगण के कब्जे से क्वालिस गाड़ी की जप्ती बताई गई है उसके संबंध में आर्टिकल ए-2 के जप्ती पत्र के संबंधित साक्षी पहाड़सिंह को अ0सा0-18 के रूप में परीक्षित कराया गया है किन्तु उसने आर्टिकल ए-2 की कार्यवाही का अपने अभिसाक्ष्य में समर्थन नहीं किया है और पक्ष विरोधी रहा है। पूछे गये सूचक प्रश्नों में भी आर्टिकल ए-2 की जप्ती के संबंध में अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है और यह कहा है कि वह उस समय थाना ग्वालियर के थानाप्रभारी की निजी गाड़ी चलाता था और उसका थाने पर आना जाना रहता था इसलिये पुलिस ने उसके हस्ताक्षर करा लिये होंगे। उस समय क्वालिस गाड़ी जप्त हुई थी या नहीं हुई थी यह उसे ध्यान नहीं है। इस तरह से उक्त साक्षी के द्वारा आर्टिकल ए-2 की कार्यवाही का समर्थन नहीं किया गया है।

25. ए0एस0आई0 विश्रामसिंह अ0सा0-17 ने अपने अभिसाक्ष्य में दिनांक 06.01.07 को थाना एण्डोरी पर प्र0आर0 के पद पर पदस्थ रहना बताते हुए थाना प्रभारी राहुल शर्मा के द्वारा उक्त अप0क्र0-75/06 धारा-302, 201 भा0द0वि0 में केन्द्रीय जेल ग्वालियर से आरोपी हरीमोहन की प्र0पी0-2 मुताबिक गिरफ्तारी करना, आरोपी राजेश की प्र0पी0-21 के द्वारा गिरफ्तारी की जाना और संदीप की प्र0पी0-22 द्वारा गिरफ्तारी करना बताया है। थाने पर गिरफ्तारी से इन्कार किया है। प्र0पी0-20 लगायत 22 के संबंध में घटना के विवेचक राहुल शर्मा अ0सा0-19 ने यह कहा है कि उसने उक्त अपराध में आवश्यकता होने से आरोपीगण की न्यायालय से अनुमति प्राप्त करके औपचारिक गिरफ्तारी की थी। गिरफ्तारी के संबंध में कोई आपत्ति भी नहीं आई है और गिरफ्तारी मात्र से घटना प्रमाणित नहीं होती है। इसलिये प्र0पी0-20 लगायत 22 के आधार पर आरोपीगण की औपचारिक गिरफ्तारी होना अवश्य प्रमाणित होती है किन्तु वह घटना से कड़ी के रूप में जुड़ने की साक्ष्य का प्रमाण नहीं है।

26. इस तरह से उपरोक्त साक्षियों की अभिसाक्ष्य के आधार पर यह तो स्पष्ट होता है कि प्र0पी0-1 की मर्ग सूचना मुताबिक जो लाश अज्ञात व्यक्ति के रूप में मिली थी वह मृतक सौरभ चतुर्वेदी की थी किन्तु उसकी हत्या आरोपीगण द्वारा उसके आधिपत्य से क्वालिस गाड़ी की लूट करते हुए की गई, और अपराध को छुपाने के उद्देश्य से पुलिस के नीचे लाश को डाला गया। यह ऊपर वर्णित साक्षियों की अभिसाक्ष्य के आधार पर प्रमाणित नहीं होता है। इसलिये शेष साक्षियों के कथनों के आधार पर और परिस्थितियों के आधार पर मूल्यांकित करना होगा कि आरोपीगण का अभियोजन की बताई घटना से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोई संबंध था या नहीं? और क्या आरोपीगण के विरुद्ध मामला संदेह से परे प्रमाणित होता है या नहीं?

27. धारा-300 भादवि के अनुसार— **हत्या**—एतस्मिन् पश्चात् अपवादित दशाओं को छोड़कर आपराधिक मानववध हत्या है, यदि वह कार्य, जिसके द्वारा मृत्यु कारित की गई हो, मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया हो, अथवा

दूसरा— यदि वह ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से किया गया हो जिससे अपराधी जानता हो कि उस व्यक्ति की मृत्यु कारित करना संभाव्य है, जिसको वह अपहानि कारित की गई है, अथवा,

तीसरा— यदि वह किसी व्यक्ति को शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से किया गया हो और वह शारीरिक क्षति, जिससे कारित करने का आशय हो, प्रकृति के मामूली अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिये पर्याप्त हो, अथवा

चौथा— यदि कार्य करने वाला व्यक्ति यह जानता हो कि वह कार्य इतना आसन्नसंकट है कि पूरी अधिसंभाव्यता है कि वह मृत्यु कारित कर ही देगा या ऐसी शारीरिक क्षति कारित कर ही देगा जिससे मृत्यु कारित होना संभाव्य है और वह मृत्यु कारित करने या पूर्वोक्त रूप की क्षति कारित करने की जोखिम उठाने के लिये किसी प्रतिहेतु के बिना ऐसा कार्य करे।

अपवाद-1 आपराधिक मानववध कब हत्या नहीं है— आपराधिक मानववध हत्या नहीं है, यदि अपराधी उस समय जब कि वह गंभीर और अचानक प्रकोपन से आत्म संयम की शक्ति से वंचित हो, उस व्यक्ति की, जिसने कि वह प्रकोपन दिया था, मृत्यु कारित करे या किसी अनय व्यक्ति की मृत्यु भूल या दुर्घटनावश कारित करे।

ऊपर का अपवाद निम्नलिखित परन्तुकों के अधधीन है—

पहला— यह कि वह प्रकोपन किसी व्यक्ति का वध करने या अपहानि करने के लिये अपराधी द्वारा प्रतिहेतु के रूप में ईप्सित न हो या स्वेच्छया प्रकोपित न हो।

दूसरा— यह कि वह प्रकोपन किसी ऐसी बात द्वारा न दिया गया हो, जो विधि के पालन में, या लोक सेवक द्वारा ऐसे लोक सेवक की शक्तियों के विधिपूर्वक प्रयोग में की गई हो।

तीसरा— यह कि वह प्रकोपन किसी ऐसी बात द्वारा न दिया गया हो, जो प्राईवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के विधिपूर्ण प्रयोग में की गई हो।

स्पष्टीकरण— प्रकोपन इतना गंभीर और अचानक था या नहीं कि अपराध को हत्या की कोटि में जाने से बचा दे, यह तथ्य का प्रश्न है।

अपवाद-2— आपराधिक मानववध हत्या नहीं है, यदि अपराधी, शरीर या संपत्ति की प्राईवेट प्रतिरक्षा के अधिकार को सद्भावपूर्वक प्रयोग में लाते हुए विधि द्वारा उसे दी गई शक्ति का अतिक्रमण कर दे और पूर्व चिन्तन बिना और ऐसी प्रतिरक्षा के प्रयोजन से जितनी अपहानि करना आवश्यक हो उससे अधिक अपहानि करने के किसी आशय के बिना उस व्यक्ति की मृत्यु कारित कर दे जिसके विरुद्ध वह प्रतिरक्षा का ऐसा अधिकार प्रयोग में ला रहा हो।

अपवाद-3— आपराधिक मानववध हत्या नहीं है, यदि वह अपराधी ऐसा लोक सेवक होते हुए या ऐसे लोक सेवक को मदद देते हुए, जो लोक न्याय की अग्रसरता में कार्य कर रहा है, उसे विधि द्वारा दी गई शक्ति से आगे बढ़ जाये, और कोई ऐसा कार्य करके, जिसे वह विधिपूर्ण और ऐसे लोक सेवक के नाते उसके कर्तव्य के सम्यक निर्वहन के लिये आवश्यक होने का सद्भावपूर्वक विश्वास करता है, और उस व्यक्ति के प्रति, जिसकी कि मृत्यु कारित की गई है, वैमनस्य के बिना कारित करे।

अपवाद-4— आपराधिक मानववध हत्या नहीं है, यदि मानववध अचानक झगड़ा जनित आवेश की तीव्रता में हुई अचानक लड़ाई में पूर्वचिन्तन बिना और अपराधी द्वारा अनुचित लाभ उठाये बिना या क्रूरतापूर्ण या अप्रायिक रीति से कार्य किये बिना किया गया हो।

स्पष्टीकरण— ऐसी दशाओं में यह तत्त्वहीन है कि कौन पक्ष प्रकोपन देता है या पहला हमला करता है।

अपवाद-5— आपराधिक मानववध हत्या नहीं है, यदि वह व्यक्ति जिसकी मृत्यु कारित की जावे, अठारह वर्ष से अधिक आयु का होते हुए, अपनी सम्मति से मृत्यु होना सहन करे या मृत्यु की जोखिम उठाये।

28. प्रकरण में उपलब्ध समस्त साक्ष्य के आधार पर यह देखना होगा कि क्या

विचाराधीन मामला ऊपर वर्णित धारा-300 के चारों खण्डों में से किसी के अंतर्गत आता है और पांचों अपवादों में से किसी के अंतर्गत नहीं आता है तब उसे हत्या की श्रेणी में रखा जा सकता है। यदि वह किसी अपराध की श्रेणी में आता है तो अपराध मानववध होगा। साथ ही यह भी देखना होगा कि क्या वास्तव में आरोपीगण के द्वारा ही कथानक मुताबिक बताई गई घटना कारित की गई या नहीं। यह अभियोजन को ही संदेह से परे सिद्ध करना है क्योंकि ऐसी सुस्थापित विधि है कि जब तक आरोपी दोषसिद्ध न हो जाये तब तक उसे निर्दोष माना जाता है जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्याय दृष्टांत **विजयसिंह विरुद्ध स्टेट ऑफ यू0पी0 ए0आई0आर0 1990 एस0सी0 पेज 1459** में मार्गदर्शित किया गया है।

29. हत्या के अपराध के लिये धारा-300 भा0द0वि0 के घटक स्थापित होना आवश्यक है जैसाकि न्याय दृष्टांत **बसंतसिंह एवं अन्य विरुद्ध स्टेट ऑफ एम0पी0 2008 भाग-1 एम0पी0जे0आर0 पेज-78** में सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है तथा न्याय दृष्टांत **बख्तावर एवं अन्य विरुद्ध स्टेट ऑफ हरियाणा ए0आई0आर0 1979 एस0सी0 पेज-1006** में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि यदि मृतक की चोटें प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु के लिये पर्याप्त हों तो ऐसे में आपराधिकवध धारा-300 के खण्ड-3 की परिधि में नहीं आयेगा और हत्या का मामला होगा।

30. विचाराधीन मामला पूर्णतः परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है जिसके संबंध में आपराधिक मामले के प्रमाणन का प्रश्न है तो इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय **शरद बिरदीचन्द शारदा विरुद्ध स्टेट ऑफ महाराष्ट्र ए0आई0आर0 1984 सु0को0 1622** में परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर किसी मामले के प्रमाणन के लिये पांच स्वर्णिम सिद्धान्त बताये गये हैं:

The following conditions must be fulfilled before a case against an accused based on circumstantial evidence can be said to be fully established,

(1) the circumstances from which the conclusion of guilt is to be drawn should be fully established. The circumstances concerned 'must or should' and not 'may be' established.

(2) the facts so established should be consistent only with the hypothesis of the guilt of the accused, that is to say, they should not be explainable on any other hypothesis except that the accused is guilty.

(3) the circumstances should be of a conclusive nature and tendency.

(4) they should exclude every possible hypothesis except the one to be proved, and

(5) there must be a chain of evidence so complete as not to leave any reasonable ground for the conclusion consistent with the innocence of the accused and must show that in all human probability the act must have been done by the accused. case law discussed.

31. प्रकरण में आरोपीगण को मामले में बताई घटना से जिन आधारों पर अनुसंधान के दौरान कड़ी के रूप में जोड़ा जाना बताया है उसमें आर्टिकल-ए-1 के रूप में थाना झांसी रोड़ जिला ग्वालियर में आरोपीगण के पकड़े जाने और पूछताछ करने पर उनके द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर जोड़ा गया है। तभी आर्टिकल ए-2 के रूप में कथानक मुताबिक लूटी गई क्वालिस गाड़ी की जप्ती करना बताई गई है जिसके संबंध में क्वालिस गाड़ी के पंजीकृत स्वामी हरीश तलरेजा की ओर से गाड़ी ड्रायवर मृतक सौरभ चतुर्वेदी द्वारा ले जाई जाना और वापिस न आने के संबंध में तथा कोई पता न चलने पर चोरी की घटना बताते हुए उसे कड़ी के रूप में आर्टिकल ए-3 द्वारा जोड़ा जाना बताया गया है। तथा बंगालीसिंह अ0सा0-12 जो कि फरार आरोपी जसवंत का रिश्ते का मामा है, उसके पुलिस कथन एवं धारा-164 द0प्र0सं0 के तहत कराये गये कथन के आधार पर भी जोड़ा जाना बताया है और प्र0पी0-8 लगायत 13 के दस्तावेजों के आधार पर भी संलिप्त होने की साक्ष्य संकलित करना बताया गया है। घटना का कोई प्रत्यक्ष साक्षी नहीं है। इसलिये उक्त साक्षियों और दस्तावेजों के आधार पर मूल्यांकित करना होगा।
32. परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्याय दृष्टांत अनंतलाल विरुद्ध स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 2006 एस0सी0 पेज-432, स्टेट ऑफ यू0पी0 विरुद्ध सतीश ए0आई0आर0 2005 एस0सी0 पेज 1000 और विलास विरुद्ध स्टेट ऑफ महाराष्ट्र ए0आई0आर0 तथा 2004 एस0सी0 पेज-3562 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि न्यायालय को यह सावधानी रखनी चाहिए कि जब वह परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर प्रकरण का निराकरण कर रहा हो तो संदेह या अनुमान दोषसिद्धि का आधार न बनाये जावें। तथा न्याय दृष्टांत तनवेग विरुद्ध स्टेट ऑफ गुजरात ए0आई0आर0 1997 एस0सी0 पेज 3255 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य में मोटिव एक महत्वपूर्ण साक्ष्य होती है।
33. प्रकरण में आरोपीगण को लूट और हत्या के लिये एकत्र रहते हुए सामान्य आशय के अनुक्रम में घटना को अंजाम दिया जाना कथानक में बताया गया है। धारा-34 भा0द0वि0 के संबंध में माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा न्याय दृष्टांत मध्यप्रदेश राज्य विरुद्ध देशराज 2004 सी0आर0एल0जे0 पेज-1415 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि धारा-34 भा0द0वि0 किसी अपराध के किये जाने में संयुक्त दायित्व को भी शामिल करता है जिसके लिये घटना में भाग लिया जाना ही पर्याप्त है। इसी प्रकार न्याय दृष्टांत उमाशंकर विरुद्ध म0प्र0 राज्य आई0एल0आर0 (2009) एम0पी0 पेज-1197 एस0सी0 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि सामान्य आशय साक्ष्य का नियम है जो अपराध में भाग लेने की क्रिया के आधार पर दोषी प्रमाणित करता है। ऐसे में प्रकरण में यह भी विश्लेषित करना होगा कि आरोपीगण की घटना में संलिप्तता का क्या आधार है जिसे प्रकरण में ए-1 लगायत 3 तथा प्र0पी0-8 लगायत 13 एवं बंगालीसिंह के कथन को आधार बनाते हुए प्रस्तुत किया है इसलिये उक्त साक्ष्य व दस्तावेजों का अत्यंत सावधानी पूर्वक मूल्यांकन करना प्रकरण के लिये अपेक्षित हो जाता है।
34. प्र0पी0-8 लगायत 13 के दस्तावेजों मुताबिक आरोपीगण को विचाराधीन अपराध में पकड़े जाने पर पुलिस अभिरक्षा में की गई पूछताछ पर लिये गये धारा-27 साक्ष्य विधान के मेमोरेण्डम कथन प्र0पी0-8 लगायत 10 उसके आधार पर हुई जप्ती प्र0पी0-11 लगायत 14 के आधार पर अभियोजित किया गया है जिससे संबंधित पंच साक्षियों में से अभियोजन की ओर से रामशंकर अ0सा0-8 के रूप में परीक्षित हुआ है जिसने प्र0पी0-8

लगायत 13 के संबंध में अभियोजन का समर्थन नहीं किया है और वह प्र0पी0-8 लगायत 13 पर पूर्णतः पक्ष विरोधी है तथा उसने इस बात से स्पष्ट तौर पर इन्कार किया है कि उसके सामने आरोपी हरीमोहन ने न्यायालय परिसर गोहद में पूछताछ करने पर प्र0पी0-8 की जानकारी राजेश उर्फ ललैया ने प्र0पी0-9 की जानकारी और आरोपी संदीप ने प्र0पी0-19 की जानकारी दी थी। इस बात से भी इनकार किया है कि आरोपीगण द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर बताये गये स्थान से संदीप से मटमैले रंग की शर्ट, हरीमोहन से हल्ले नीले रंग की मिट्टी से सनी हुई साफ़ी और राजेश उर्फ ललैया से एक काले रंग का पर्स जिसमें मृतक सौरभ की फोटो, राशन कार्ड की फोटोप्रति और डायरी के पन्ने जिसमें डीजल खर्च का हिसाब था, जप्त हुए थे। बल्कि उक्त साक्षी ने प्र0पी0-8 लगायत 13 के दस्तावेजों पर पुलिस द्वारा थाने पर हस्ताक्षर करा लेना और उस समय कोई भी आरोपी उपस्थित न होना बताया है। इस प्रकार प्र0पी0-8 लगायत 13 के संबंध में परीक्षित साक्षी रामशंकर का कोई समर्थन नहीं है और दूसरा पंच साक्षी जितेन्द्र को अभियोजन की ओर से पेश नहीं किया गया है। ऐसे में प्र0पी0-8 लगायत 13 के संबंध में केवल विवेचक का ही अभिसाक्ष्य है इसलिये प्र0पी0-8 लगायत 13 के संबंध में विवेचक के साक्ष्य का अत्यंत सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करना आवश्यक हो जाता है क्योंकि यह सही है कि किसी भी पुलिस साक्षी पर केवल इस आधार पर अविश्वास नहीं किया जा सकता है कि वह पुलिस का साक्षी है न ही ऐसी कोई न्यायिक परिपाटी है। जैसा कि न्याय दृष्टांत **गिरजा प्रसाद विरूद्ध स्टेट ऑफ़ एम0पी0 ए0आई0आर0 2007 एस0सी0 पेज-3106** में मार्गदर्शित किया गया है।

35. निरीक्षक राहुल शर्मा अ0सा0-19 जो कि घटना का विवेचक है, उसने अपने अभिसाक्ष्य में प्र0पी0-8 लगायत 13 के संबंध में यह साक्ष्य दी है कि उसने उक्त अपराध में न्यायालय जे0एम0एफ0सी0 गोहद से आरोपीगण को प्रोडक्शन वारण्ट जारी करवाकर उसके पालन में आरोपीगण के पेश होने पर उनसे पूछताछ की थी जिसमें आरोपी हरीमोहन ने वाहन क्रमांक-एच0आर0-37 ए-7428 के चालक सौरभ चतुर्वेदी की हत्या कर वाहन लूटना और जिस साफ़ी से हत्या की गई थी, उसे पुलिया के नीचे जमीन में गाड़ना और बरामद कराये जाने की जानकारी दी थी। आरोपी राजेश उर्फ ललई ने मृतक का पर्स उसकी जेब से निकालकर अपने घर में छुपाना और बरामद कराये जाने की जानकारी दी थी तथा आरोपी संदीप ने मृतक के पैट शर्ट आसन नदी के किनारे पॉलीथीन में बांधकर झाड़ियों में फँक देना और बरामद कराना बताया था जिसके आधार पर उक्त सामग्री की उसने प्र0पी0-11 लगायत 13 के अनुसार जप्ती की थी। दोनों साक्षियों के बारे में उसका ऐसा कहना है कि वे उसे न्यायालय परिसर में ही मिल गये थे। आरोपी राजेश के संबंध में पैरा-13 में उसका यह भी कहना रहा है कि घर के किसी निश्चित स्थान पर पर्स को छुपाकर रखने की बात बताई थी। इसका उल्लेख प्र0पी0-9 में नहीं है और यह भी स्वीकार किया है कि एण्डोरी से ग्राम बकनासा की दूरी करीब 25 किलोमीटर है। चार पहिया से जाने में एक घण्टा लगेगा। राजेश ने घर में से किस जगह से पर्स निकालकर जप्त कराया, इसका उल्लेख प्र0पी0-13 में नहीं किया है। पंच साक्षियों के पुलिस कथन उसने नहीं लिये थे।

36. उक्त विवेचक ने प्र0पी0-8 के संबंध में यह स्वीकार किया है कि प्र0पी0-8 में साफ़ी के आकार व रंग का उल्लेख नहीं है और जो साफ़ी बताई गई थी वह एफ0आई0आर0 के बाद मौका देखते समय घटनास्थल के आसपास नहीं मिली थी और प्र0पी0-23 का नक्शामौका बनाया गया था उस समय कोई खुदी हुई जमीन नहीं मिली थी जिसके बारे में उसका यह कहना रहा है कि साफ़ी निकाल के खुदी हुई जमीन को

बंद कर दिया था। इसलिये मौका मुआईना करते समय वह स्थान निगाह में नहीं आया था। साफी के संबंध में उसका कहना है कि आरोपी हरीमोहन के द्वारा ही गड़ढा खोदकर साफी निकाली गई थी जो उसने पत्थर से खोदा था। इस बात का उल्लेख प्र०पी०-12 के जप्ती पत्रक में नहीं किया है। यह स्वीकार किया है कि प्र०पी०-12 में सील नमूना अंकित नहीं है। इस बात से इन्कार किया है कि उसने उक्त कार्यवाही थाने पर बैठकर की है।

37. प्र०पी०-8 लगायत 13 की कार्यवाही दिनांक 23.02.07 के दिन के एक बजे से लेकर शाम सात बजे तक दस्तावेजों मुताबिक बताई गई है जिससे संबंधित कोई रोजनामचासान्हा प्रकरण में पेश नहीं है। उक्त समस्त कार्यवाही का विवेचक राहुल शर्मा अ०सा०-19 ही है जिसने हरीमोहन का प्र०पी०-8 का ज्ञापन दिनांक 23.02.07 के दिन के एक बजे न्यायालय परिसर मोहद में लिया और उसके आधार पर घटनास्थल बरौना पुलिया से मिट्टी से सनी साफी को दोपहर पश्चात 5.15 बजे जप्त करना बताया है। तथा आरोपी संदीप का मेमोरेण्डम प्र०पी०-9 दिन के 1.15 बजे लिया गया जिसके आधार पर उससे आसन नदी के किनारे झाड़ी से मृतक के पेन्ट शर्ट की जप्ती शाम 6.00 बजे की जाना बताई गई है। तथा राजेश उर्फ ललैया का मेमोरेण्डम कथन दोपहर 1.30 बजे लेने के पश्चात उसके ग्राम बकनासा स्थित मकान से पर्स डायरी के पन्ने, मृतक का फोटो जप्त करना बताई गई है जबकि उक्त सामग्री इस प्रकार की है कि स्वाभाविक रूप से उसे आरोपी अपने घर में नहीं रखेगा क्योंकि कोई मूल्यवान वस्तु नहीं थी जिससे बचाव पक्ष का प्र०पी०-8 लगायत 13 के संबंध में यह तर्क कि उक्त कार्यवाही वास्तव में नहीं हुई और पुलिस ने केवल उसे कड़ी के रूप में जोड़ने का कु-प्रयास किया है किन्तु वे कतई प्रमाणित नहीं हैं जो इस आधार पर बल रखता है कि तीनों आरोपियों से अलग अलग स्थानों से वे वस्तुएं बरामद होना बताई गई हैं जो किसी भी तरह से मूल्यवान व उपयोगी नहीं थीं और यदि आरोपीगण की संलिप्तता होती तो वे उक्त वस्तुओं को भिन्न जगहों पर सुरक्षित रखने के वजाय उन्हें नष्ट कर देते। जबकि अभियोजन के कथानक मुताबिक आरोपीगण पर लूट और हत्या के अपराध से बचाने के लिये साक्ष्य को विनिष्ट करने का भी आक्षेप लगाया गया है। ऐसे में प्र०पी०-8 लगायत 13 की कार्यवाही को जो हालांकि एक ही दिन की है, लेकिन जो समयावधि बताई गई है उसमें स्वाभाविक रूप से संभव नहीं है। न ही उसके संबंध में रोजनामचासान्हा की नकल पेश कर कार्यवाही को स्पष्ट किया गया है। ऐसे में प्र०पी०-8 लगायत 13 के दस्तावेज विवेचक राहुल शर्मा अ०सा०-19 के अभिसाक्ष्य से प्रमाणित नहीं माने जा सकते हैं और उसके आधार पर आरोपीगण की संलिप्तता बताई गई घटना में स्थापित और प्रमाणित नहीं होती है तथा जो पर्स डायरी का पन्ना व मृतक के कपड़े जप्त बताये गये, उसकी कोई पहचान की कार्यवाही विवेचना के दौरान नहीं कराई गई जबकि गाड़ी का पंजीकृत स्वामी गिरीश चतुर्वेदी तथा गाड़ी का प्रबंधक बताया गया बी०एल० बाथम (बी०एल० बाथम) तथा मृतक के पिता गिरीश चतुर्वेदी उसके आधार पर ही पहचान कर सकते थे। मृतक के पिता के द्वारा जो पहचान फोटो के आधार पर की गई है वह भी प्र०पी०-7 मुताबिक लाश पंचनामा पढ़कर और फोटो देखकर पहचान करना बताया है। न्यायालयीन साक्ष्य में फोटो मृतक के पिता द्वारा मोबाईल में देखना बताया गया है। मृतक का पर्स, डायरी का पन्ना और फोटो आर्टिकल के रूप में पेश भी नहीं हैं। इसलिये प्र०पी०-8 लगायत 13 के आधार पर आरोपीगण को घटना से जोड़ा जाना संभव नहीं है। और प्र०पी०-8 लगायत 13 के दस्तावेज संदिग्ध हैं। तथा उसके संबंध में अ०सा०-19 उक्त कारणों से विश्वसनीय साक्षी नहीं रह जाता है।

38. अभियुक्त की सूचना के आधार पर अपराध में प्रयुक्त वस्तुओं की बरामदगी पर्याप्त नहीं है बल्कि यह एक परिस्थिति है जिसे अन्य सभी सुसंगत परिस्थितियों के साथ देखकर अभियुक्त के अपराध में शामिल होने के बारे में निष्कर्ष निकालना होता है। जैसा कि न्याय दृष्टांत **वकार विरुद्ध स्टेट ऑफ यू0पी0 (2011) वोल्यूम-3 एस0सी0सी0 पेज-306** अवलोकनीय है। हस्तगत मामले में एक ही दिन की प्र0पी0-8 लगायत 13 की कार्यवाही तो अवश्य बताई गई है किन्तु वह सुदृढ़ साक्ष्य से प्रमाणित नहीं हुई है।
39. आर्टिकल ए-1 लगायत ए-3 के दस्तावेजों का जहाँ तक संबंध है उसके संबंध में भी रविन्द्रसिंह चौहान अ0सा0-15 का यह कहना रहा है कि मुखबिर की सूचना पर जब वह विकी फैक्ट्री रेलवे ब्रिज के पास एस0पी0 और टी0आई0 झांसी रोड से निर्देश प्राप्त कर सूचना की तशदीक हेतु ए0एस0आई0 के0एस0 भदौरिया को मय पुलिस बल के भेजा गया था। आर्टिकल ए-1 की एफ0आई0आर0 में के0एस0 भदौरिया के साथ जो पुलिस बल गया था उनमें से किसी का भी अभियोजन की ओर से साक्ष्य नहीं कराया गया है। न ही सूचना की तशदीक करने वाले ए0एस0आई0 के0एस0 भदौरिया को प्रकरण में पेश किया गया है। आर्टिकल ए-1 की एफ0आई0आर0 दर्ज करने वाले तत्कालीन एच0सी0एम0 रविन्द्रसिंह चौहान को अ0सा0-15 के रूप में परीक्षित कराया गया है। लेकिन वह यह बताने में असमर्थ है कि सूचना की तशदीक के लिये जो पुलिस बल गया था वह रोजनामचासान्हा में रवानगी डालकर गया था या नहीं तथा आर्टिकल ए-1 व ए-2 किस अधिकारी के द्वारा सत्यापित किये गये हैं। इसकी भी उसे जानकारी नहीं है। उसने आर्टिकल ए-1 की एफ0आई0आर0 और आर्टिकल ए-2 की जप्ती करना बताया है जिसके आधार पर न्यायकेत्तर संस्वीकृति के रूप में उसे अभियोजन की ओर से पेश किया गया है किन्तु अ0सा0-15 ने यह स्वीकार किया है कि उसने किसी भी आरोपी का धारा-27 साक्ष्य विधान के तहत जप्ती संबंधी कोई मेमोरेण्डम कथन नहीं लिया था। झांसी रोड थाने के मूल अपराध में यदि मेमोरेण्डम कथन लगा हो तो इसकी भी उसे जानकारी नहीं है। उसने आरोपीगण से यह नहीं पूछा था कि सौरभ चतुर्वेदी की हत्या किस स्थान पर की गई। हत्या के मामले में उसने कोई पूछताछ भी नहीं की थी कि हत्या कहाँ पर और कितने समय पहले की गई।
40. आर्टिकल ए-2 के मुताबिक हरीमोहन से क्वालिस गाड़ी की जप्ती बताई गई है किन्तु आर्टिकल ए-1 व ए-2 पर आधारित मामले में आरोपीगण हरीमोहन और संदीप का विचारण होकर वह दोषमुक्त हो चुके हैं जिसके संबंध में जे0एम0एफ0सी0 न्यायालय ग्वालियर द्वारा घोषित निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र0डी0-2 के रूप में पेश की गई है और उसके संबंध में आरोपी हरीमोहन के द्वारा धारा-315 द0प्र0सं0 के तहत स्वयं का बचाव साक्षी क0-1 के रूप में अभिसाक्ष्य भी कराया है जिस पर उसने अभियोजन के आक्षेपों का खण्डन किया है और उसके अभिसाक्ष्य में कोई भी ऐसा तथ्य प्रकट नहीं हुआ है जो कि न्यायकेत्तर संस्वीकृति को बल प्रदान करता हो। ऐसी स्थिति में आर्टिकल-ए-1, 2 के दस्तावेज परीक्षित साक्षी रविन्द्रसिंह चौहान अ0सा0-15 के अभिसाक्ष्य से प्रमाणित नहीं माने जा सकते हैं जिसके संबंध में आरोपीगण के विद्वान अधिवक्ताओं ने तर्कों में यह व्यक्त किया है कि जिस आधार पर आरोपीगण को पकड़ना बताया गया है वह आधार ही प्रमाणित नहीं हैं। क्योंकि आर्टिकल-ए-1 व ए-2 पर आधारित मामले में वे दोषमुक्त हो चुके हैं।
41. आरोपीगण के विद्वान अधिवक्ताओं के द्वारा इस संबंध में न्याय दृष्टांत **स्टेट ऑफ हरियाणा विरुद्ध वेदप्रकाश ए0आई0आर0 1944 सुप्रीमकोर्ट पेज-468** पेश

किया गया है जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऐसा हत्या का मामला जो परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित हो, उसमें न्यायालय को अत्यंत सावधानी से मूल्यांकन करने का मार्गदर्शन देते हुए न्यायकेत्तर संस्वीकृति के संदर्भ में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि अंतिम बार मृतक और अभियुक्त को साथ देखे जाने मात्र के आधार पर मामला स्थापित नहीं होता है। न्याय दृष्टांत के मामले में आरोपी और मृतक एकसाथ खेत पर जाते हुए देखे गये थे और मृतक का शव आरोपी के खेत से बरामद हुआ था तथा **कैलाश विरुद्ध स्टेट ऑफ यू0पी0 ए0आई0आर0 1994 सुप्रीमकोर्ट पेज-470** के मामले में न्यायकेत्तर संस्वीकृति के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि जहाँ मामला न्याय की संस्वीकृति पर आधारित हो और अभियुक्त के द्वारा घटना के बीस दिन बाद संस्वीकृति की जाये तो उसके आधार पर मामले को कड़ी के रूप में नहीं जोड़ा जा सकता है।

42. इस मामले में आर्टिकल ए-1 की संस्वीकृति का आधार नहीं है क्योंकि उसके संबंध में सुदृढ़ साक्ष्य का अभाव है और आर्टिकल ए-2 मुताबिक हरीमोहन से क्वालिश गाड़ी की जप्ती भी प्रमाणित नहीं है तथा अंतिम बार मृतक और आरोपीगण को एकसाथ देखे जाने के संबंध में फरार अभियुक्त जसवंत के रिश्ते के मामा बंगालीसिंह अ0सा0-12 को परीक्षित कराया गया है। किन्तु बंगालीसिंह ने भी अपने अभिसाक्ष्य में यह तो माना है कि जसवंत उसका भान्जा है और वह आपराधिक प्रवृत्ति का है इस कारण वह उसे पसन्द नहीं करता है किन्तु उसने विचाराधीन आरोपीगण की पहचान नहीं की है न ही उन्हें दिनांक 21.09.06 को जब उसके भान्जे जसवंत के साथ चार व्यक्ति उसके घर ग्राम बकनासा में आये थे जिन्हें उसने चाय पिलवाई थी और खाना आदि खिलवाया था। जहाँ करीब आधा पौन घण्टा जसवंत और उसके साथी रुके थे। फिर चले गये थे किन्तु उनमें आरोपी हरीमोहन, संदीप और राजेश उर्फ ललैई के साथ आने की पुष्टि उसने नहीं की है न ही इस संबंध में पुलिस को प्र0डी0-18 का कथन देना बताया है। उसने यह तो स्वीकार किया है कि पुलिस ने उसका न्यायालय में कथन कराया था किन्तु उसने धारा-164 दप्रसं के अंतर्गत दिये गये कथन की भी न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में पुष्टि नहीं की है और पक्ष विरोधी रहा है। अभियोजन द्वारा उक्त साक्षी को पक्ष विरोधी घोषित कर प्रतिपरीक्षा की भांति पूछे गये सूचक प्रश्नों में पैरा-5 में उसने इतना तो स्वीकार किया है कि आरोपी राजेश उर्फ ललैई से उसके भान्जे जसवंत की अच्छी दोस्ती थी और वे उसके गांव आते थे तो उसका भान्जा जसवंत और राजेश उर्फ ललैई साथ में बैठकर शराब पीते थे और जो लाश पुलिया पर मिली थी उसकी शिनाख्त होने के कुछ दिन बाद पुलिस ने राजेश उर्फ ललैई को गिरफ्तार भी किया था किन्तु उसने प्र0डी0-1 के धारा-164 दप्रसं के कथन और प्र0पी0-18 के पुलिस कथन के वृत्तांत को पूरी तरह से अस्वीकार किया है।
43. इस साक्षी ने पैरा-5 में जसवंत और राजेश की दोस्ती होना और साथ में शराब पीने की बात को भी उसने पैरा-9 में इन्कार कर दिया है और पुनः परीक्षा में कोई ऐसे तथ्य नहीं आये हैं जिससे किसी बिन्दु पर उक्त साक्षी को विश्वसनीय ठहराया जा सके। उक्त साक्षी के द्वारा मृतक की लाश भी नहीं देखी गई है। ऐसे में बंगालीसिंह अ0सा0-12 को अभिसाक्ष्य के आधार पर आरोपीगण को घटना से कड़ी के रूप में नहीं जोड़ा जा सकता है। उसके द्वारा प्र0डी0-1 के धारा-164 दप्रसं के कथन की यथावत पुष्टि न करने के संदर्भ में उसके विरुद्ध धारा-344 दप्रसं के तहत ही कार्यवाही की जा सकती है। किन्तु ऐसा साक्षी जो बार बार अपनी अभिसाक्ष्य में परिवर्तन लाता है वह विश्वसनीय नहीं माना जा सकता है। इसलिये बंगालीसिंह अ0सा0-12 का भी साक्ष्य आरोपीगण के विरुद्ध नहीं माना जा सकता है।

44. बलराम सिंह ब.सा.-2 ने अपनी अभिसाक्ष्य में इस आशय की साक्ष्य दी है कि वह आरोपी राजेश उर्फ ललैया को जानता है जो उसके गांव का है। बंगालीसिंह के भांजे जसवंत को जानता है लेकिन राजेश उर्फ ललैया एवं जसवंत की कभी कोई दोस्ती नहीं रही न उन्हें उसने साथ में शराब पीते हुए देखा। उक्त बचाव साक्षी के मुताबिक तो राजेश शराब नहीं पीता है और बंगालीसिंह भी 10 साल से ग्वालियर में निवास करता है जिसका पुराना घर ग्राम बकनासा में है। उसके मुताबिक पिछले 8-9 साल में उसने कभी भी जसवंत को ग्राम बकनासा आते हुए नहीं देखा। उक्त साक्षी वर्तमान प्रक्रम पर इसलिये महत्वहीन है क्योंकि प्रकरण में अन्य सह अभियुक्त जसवंत अभी फरार है उसका विचारण नहीं हुआ है तथा बंगालीसिंह अ.सा.-12 के अभिसाक्ष्य को भी विश्वसनीय नहीं माना गया है। इसलिये उक्त बचाव साक्षी के अभिसाक्ष्य के आधार पर कोई निष्कर्ष प्राप्त नहीं किया जा सकता है।
45. जहाँ तक बंगालीसिंह अ0सा0-12 के धारा-164 दप्रसं के कथन का प्रश्न है, उसके संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्याय दृष्टांत **बैजनाथ शाह विरुद्ध स्टेट ऑफ बिहार 2010 (2) सी0सी0एस0सी0 1083 (एस0सी0)** को बचाव पक्ष की ओर से पेश किया गया है जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा धारा-164 दप्रसं के अधीन हुए कथन की व्याख्या करते हुए यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि धारा-164 दप्रसं का कथन सारभूत साक्ष्य नहीं होता है और उसका प्रयोग केवल न्यायालय में किये गये कथन के मुकाबले साक्षी की संपुष्टि या विरोध करने के लिये किया जा सकता है। हालांकि न्याय दृष्टांत का मामला अवयस्क लड़की के व्यपहरण पर आधारित था किन्तु जो सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है वह बंगालीसिंह अ0सा0-12 के संबंध में इस प्रकरण में लागू किये जाने योग्य है और बंगालीसिंह अ0सा0-12 के अभिसाक्ष्य से यह कड़ी नहीं जुड़ती है कि प्रकरण की घटना के तत्काल पूर्व या सुसंगत समयावधि में उसके द्वारा आरोपीगण और मृतक को पकड़ी गई क्वालिस गाड़ी सहित अंतिम बार उसने ग्राम बकनासा में अपने घर पर चाय पानी व खाना आदि के समय देखा था। अ0सा0-12 ने पैरा-7 में यह भी स्पष्ट किया है कि उसका भांजा जिस गाड़ी से आया था उसका नंबर-एच0आर0-ए-7428 नहीं था। जबकि कथानक मुताबिक जिस गाड़ी की लूट मृतक से की जाकर उसकी साशय हत्या करने का आक्षेप किया गया है वह क्वालिस गाड़ी एच0आर0-37 ए-7428 ही बताई गई है।
46. हरीश तलरेजा अ.सा.-14 के द्वारा अपने अभिसाक्ष्य में यह बताया गया है कि दिनांक-16/11/2006 को उसकी क्वालिस गाड़ी जिसका रजि0क्र0-7428 था उसका चालक सौरभ चतुर्वेदी था जो उसकी गाड़ी कहीं ले जाने के लिए ले गया था और शाम तक गाड़ी लेकर वापिस नहीं लौटा था तब उसने सौरभ को फोन लगाया था तो उसका फोन बंद जा रहा था। फिर उसने थाना कंठू ग्वालियर में उक्त संबंध में जानकारी दी थी और रिपोर्ट लिखायी थी। जिसकी सत्य प्रतिलिपि प्रकरण में संलग्न होना उक्त साक्षी ने बताया है। जिसे आर्टिकल ए-3 के रूप में घटना के विवेचक निरीक्षक राहुल शर्मा अ.सा.-19 के द्वारा अपने अभिसाक्ष्य में अनुसंधान के दौरान प्राप्त कर संलग्न करना बताया है। जिसने आर्टिकल ए-1 व 2 के दस्तावेज के दौरान विवेचना के दौरान उन्हें झांसी रोड थाना ग्वालियर से प्राप्त करना बताये हैं।
47. आर्टिकल ए-3 के संबंध में साक्षी हरीश तलरेजा अ.सा.-14 ने यह कहा है कि उसने थाना कंठू ग्वालियर में घटना के संबंध में लिखित आवेदन दिया था जिसपर से पुलिस ने एफ आई आर दर्ज की थी। और उसने यह भी उल्लेख किया था कि वह

सुभाष मार्केट में ग्रीटिंग की दुकान चलाता है। क्वालिस गाड़ी उसने अगस्त 2005 में बी.एल. बाथम को बेच दी थी लेकिन उक्त गाड़ी आई सी आई सी आई बैंक ग्वालियर में फाइनेंस होने के कारण घटना के समय उसके नाम से दर्ज थी। जिसे सौरभ चलाता था जो मूलतः कृष्णा नगर मैनपुरी का निवासी था और तत्समय किरार कॉलोनी कंपू ग्वालियर में रहता था।

48. हरीश तलरेजा अ.सा.-14 ने यह भी कहा है कि उसे बी.एल. बाथम ने बताया था कि सौरभ एक पार्टी को लेकर टीकमगढ़ तरफ गया है और लौटकर नहीं आया है। बाद में उसे यह पता चला था कि उसकी गाड़ी एण्डोरी पुलिस द्वारा जब्त कर ली गयी है जिसे उसने सुपुर्दगी पर प्राप्त किया था। सौरभ चतुर्वेदी के संबंध में उसे कोई जानकारी नहीं है कि वह कहां है क्योंकि घटना के बाद वह उसे नहीं मिला। अर्थात् गाड़ी ले जाने के बाद सौरभ उसे न मिलना वह कहता है। उक्त साक्षी के मुताबिक वर्ष 2004 से ही गाड़ी की देखरेख बी.एल. बाथम करता था कि गाड़ी कहां कहां आती जाती रही और कौन लेकर जाता था।
49. इस प्रकार से हरीश तलरेजा के मुताबिक जिस दिन सौरभ उसकी गाड़ी लेकर गया और शाम तक लौटकर नहीं आया तथा फोन लगाने पर सौरभ का मोबाइल बंद आया उसके बाद ही थाना कंपू ग्वालियर में जाकर उसके द्वारा लेखीय आवेदन पर से गाड़ी और चालक सौरभ के न मिलने के संबंध में रिपोर्ट लिखायी गयी। जबकि आर्टिकल ए-3 की थाना कंपू ग्वालियर की एफ आई आर की जो सत्य प्रतिलिपि पेश की गयी है उसका गंभीरता से अवलोकन किया जाये तो उसके मुताबिक हरीश तलरेजा द्वारा अपनी क्वालिस गाड़ी के संबंध में मृतक सौरभ चतुर्वेदी पर चोरी का संदेह जताते हुए इस आशय की रिपोर्ट की गयी थी कि दि०-18/09/2006 को उसकी गाड़ी सौरभ चतुर्वेदी, बी०एल० बाथम को पुलिस वायरलेस कार्यालय कंपू छोड़ने के लिए उसके कहने पर लेकर गया था जो उसके बाद लौटकर नहीं आया और न गाड़ी का पता चला न सौरभ के बारे में पता चला जिसकी वह लगातार तलाश करता रहा और कोई पता न चलने पर उसके द्वारा दि०-16/11/2006 को कंपू थाने में रिपोर्ट की गई। जो कि पूर्णतः विरोधाभासी है क्योंकि गाड़ी सौरभ चतुर्वेदी द्वारा ले जाने के करीब दो महीने बाद रिपोर्ट की गई। जबकि न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में हरीश तलरेजा जिस दिन गाड़ी गई उसी दिन शाम तक न लौटने पर रिपोर्ट को जाना कहता है। ऐसे में आर्टिकल ए-3 के वृत्तांत से घटना से विचारधीन प्रकरण की घटना को कढ़ी के रूप में नहीं जोड़ा जा सकता है। बल्कि वह संदेह ही उत्पन्न करती है क्योंकि आर्टिकल ए-3 की रिपोर्ट उस समय लिखायी गयी है जब सौरभ चतुर्वेदी की हत्या एवं क्वालिस गाड़ी की लूट का मामला संज्ञान में आ चुका था।
50. हरीश तलरेजा के मुताबिक उसके बी०एल० बाथम द्वारा यह जानकारी दी गयी कि सौरभ किसी पार्टी को लेकर टीकमगढ़ तरफ गया और लौटकर नहीं आया। जबकि आर्टिकल ए-3 मुताबिक स्वयं हरीश तलरेजा द्वारा बी०एल० बाथम को उसके वायरलेस कार्यालय स्थित कंपू ग्वालियर छोड़ने के लिए सौरभ को क्वालिस गाड़ी से भेजा गया था जो दोनों ही अपने आप में विरोधाभासी हैं ऐसे में आर्टिकल ए-3 के आधार पर कोई निष्कर्ष प्राप्त नहीं होता है न ही हरीश तलरेजा का न्यायालयीन अभिसाक्ष्य आरोपीगण को घटना से जोड़ने में सहायक है। इसलिये हरीश तलरेजा अ.सा.-14 के अभिसाक्ष्य से विचाराधीन घटना के प्रमाण में कोई अभियोजन को लाभ प्राप्त नहीं होता है।
51. बारेलाल अ०सा०-1 जो कि ऊपर वर्णित विश्लेषण में बी०एल० बाथम के रूप में भी संबोधित हुआ है उसने न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में यह बताया है कि सौरभ चतुर्वेदी

मैनपुरी का रहने वाला था किरार कॉलौनी कंपू ग्वालियर में रहता था और उसकी गाड़ी को चलाता था। घटना सितंबर 2006 की है। जब उसकी गाड़ी से किसी पार्टी को लेकर टीकमगढ़ गया था और दो तीन बाद तक नहीं आया था खोजबीन करने पर नहीं मिलने पर कंपू थाने में गाड़ी के मालिक हरीश तलरेजा के द्वारा रिपोर्ट की गयी थी। जबकि हरीश तलरेजा अ.सा.-14 गाड़ी ले जाने वाले दिन ही रिपोर्ट की बात न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में बताता है और कंपू थाने की एफ आई आर आर्टिकल ए.-3 मुताबिक रिपोर्ट गाड़ी जाने के करीब दो माह के बाद लिखायी गयी। इसलिये बारेलाल इस संबंध में समर्थक साक्षी नहीं माना जा सकता है।

52. हरीश तलरेजा मुताबिक क्वालिस गाड़ी का प्रबंधन बी0एल0 बाथम अर्थात् बारेलाल बाथम अ0सा0-1 को करना बताया है और अगस्त 2005 में गाड़ी बेचना कहा है। जिसके संबंध में बारेलाल अ.सा.-1 ने यह कहा है कि उसने अपने लडके मनीष के नाम से हरीश तलरेजा की क्वालिस गाड़ी लेने का अनुबंध किया था। जिससे संबंधित कोई कागज उसने थाने पर नहीं दिये। गाड़ी उसके नाम ट्रांसफर नहीं हुई थी। सौरभ को गाड़ी पर चालक किसने रखा था इसके बारे में उसे जानकारी नहीं है। सौरभ टीकमगढ़ गाड़ी लेकर गया था किन्तु किस पार्टी को लेकर गया था और गाड़ी किसने बुलवायी थी जानकारी नहीं है इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि हरीश तलरेजा की यह बात कि वर्ष 2004 से ही गाड़ी का प्रबंधन बारेलाल/बी0एल0बाथम करता था, खण्डित हो जाती है।

53. अ0सा0-1 के मुताबिक गाड़ी को किराये पर उठाने के लिए सौरभ ही मालिक था। सौरभ ही गाड़ी चलाता था। जैसा कि उसके पैरा -3 में आया है। इससे इस बात का भी खण्डन हो जाता है कि टीकमगढ़ गाड़ी बी0एल0बाथम/बारेलाल ने भेजी और उससे हरीश तलरेजा को अवगत भी कराया। बल्कि पैरा-4 में उसने यह भी कहा है कि सौरभ ने उसे दि0-19/09/2006 को फोन करके बताया है कि वह गाड़ी टीकमगढ़ लेकर जा रहा है और दो दिन बाद आयेगा। इससे हरीश तलरेजा का अभिसाक्ष्य पूरी तरह से खण्डित हो जाता है। और उसके द्वारा दि0-18/09/2006 को गाड़ी न लौटने पर चोरी का आक्षेप का भी खण्डन हो जाता है।

54. बारेलाल बाथम अ0सा0-1 के द्वारा दिये गये अभिसाक्ष्य में यह भी कहा है कि जब उसे कंट्रोल रूम ग्वालियर से यह सूचना प्राप्त हुई कि एक अज्ञात शव एण्डोरी थाना अंतर्गत मिला है जिसपर से उसने सौरभ के पिता गिरीश चतुर्वेदी को सूचना दी थी और उसे शिनाख्ती के लिए बुलवाया था यह साक्ष्य अपने आपमें संदेह उत्पन्न करती है क्योंकि इस बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं है कि बारेलाल बाथम को यह आभास किस कारण हुआ कि जिस डेडबॉडी के मिलने की सूचना कंट्रोल रूम ग्वालियर से प्राप्त हुई है वह क्वालिस गाड़ी के चालक सौरभ चतुर्वेदी की ही हो सकती है। जबकि उसके मुताबिक उसने डेडबॉडी को नहीं देखा। यह अपने आपमें अ0सा0-1 के अभिसाक्ष्य को संदिग्ध बनाता है।

55. अ0सा0-1 के मुताबिक सौरभ के बाबा श्यामबिहारी उसके साथ थाना गये थे और डेडबॉडी की शिनाख्ती की थी जबकि पूरे कथानक में डेडबॉडी की पहचान ही नहीं हुई बल्कि अज्ञात के रूप में लाश मिली जिसका शव परीक्षण उपरांत पंच साक्षियों के समक्ष शमशान घाट गोहद में प्र.पी.-19 मुताबिक दि0-22/09/2006 को अंतिम संस्कार पुलिस द्वारा करा दिया गया था। अर्थात् कथानक मुताबिक डेडबॉडी देखकर किसीने शिनाख्ती नहीं की यह भी अ0सा0-1 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य के बारे में संदेह उत्पन्न करता है और मृतक सौरभ के पिता गिरीश चतुर्वेदी के सौरभ के वापिस न आने के संबंध में उसके

द्वारा कब सूचना दी गयी थी यह भी उसे ध्यान नहीं है । जबकि उसके पुलिस कथन प्रदर्श डी.-2 मुताबिक सौरभ के न मिलने पर वह सूचना देना कहता है । इस तरह से उक्त साक्षी पुलिस कथन और न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में विरोधाभास उत्पन्न करता है । कंट्रोल रूम ग्वालियर से उसे कब सूचना मिली इसके बारे में भी उसे याद नहीं है । मृतक सौरभ का पिता गिरीश कब एण्डोरी थाना गया इसकी भी उसे जानकारी नहीं है तथा अ.सा.-1 मृतक के पिता गिरीश के द्वारा मृतक सौरभ के कपड़े फोटो और घुटने पर कुत्ते के काटने के निशान को देखकर पहचान करने की बात कहता है । जबकि पूरे कथानक में यह कहीं भी उल्लेखित नहीं है कि मृतक के शरीर पर कुत्ते के काटने के कोई निशान भी थे न ही शव परीक्षण प्रतिवेदन प्रदर्श पी.-04 में ऐसा कोई उल्लेख है । बल्कि मृतक के पिता गिरीश के मुताबिक तो उसने मोबाइल में फोटो देखकर ही अपने पुत्र की पहचान की थी वह लाश पंचनामा पढ़ने का भी समर्थन नहीं करता है जैसा कि प्रदर्श पी.-7 में उल्लेखित है ऐसे में किसी भी दृष्टिकोण से बारेलाल बाथम अ.सा.-1 की अभिसाक्ष्य अभियोजन को मामले को प्रमाणित करने में सहायक है बल्कि वह पूर्णतः अविश्वसनीय होकर अग्राह्य किए जाने योग्य ही है ।

56. इस प्रकार से बारेलाल बाथम अ.सा.-1 और हरीश तलरेजा अ.सा.-14 के अभिसाक्ष्य में कोई तालमेल ही नहीं बैठता है जो कि घटना से आरोपीगण को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जोड़ने में सहायक हो । प्रकरण में अब केवल घटना का विवेचक निरीक्षक राहुल शर्मा अ.सा.-19 का ही और अभिसाक्ष्य शेष है और चूंकि मामला अंधे कत्ल का होकर परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है ऐसे में उसके अभिसाक्ष्य का अत्यंत सावधानी से मूल्यांकन किया जाना अपेक्षित हो जाता है क्योंकि कोई भी समर्थित साक्ष्य कड़ी के रूप में अभिलेख पर नहीं आयी है ।

57. विवेचक राहुल शर्मा अ.सा.-19 के द्वारा अपने अभिसाक्ष्य में ऊपर किये गये विश्लेषण के अलावा यह भी बताया गया है कि उसने अज्ञात लाश बरौना की पुलिया के नीचे मिलने पर उसका शव परीक्षण कराने के बाद शव परीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद हत्या का मामला मानते हुए धारा-302 भा0द0वि0 का अप0क0-75/06 पंजीबद्ध कराया था और अनुसंधान के दौरान उसने घटनास्थल पर जाकर विवेचना में प्र0पी0-23 का नजरीय नक्शा भी बनाया था। तत्पश्चात साक्षी रामभरोसी, भारतसिंह, रामनिवास के पुलिस कथन दिनांक 26.09.06 को, साक्षी हरीश तलरेजा और बारेलाल के कथन दिनांक 05.01.07 को, गिरीश व रामप्रकाश के कथन दिनांक 29.12.06 को, बंगालीसिंह का कथन दिनांक 26.02.07 को लिया था। अनुसंधान के दौरान जो वस्तुएं जप्त हुई थीं उन्हें रासायनिक विश्लेषण के लिये एफ0एस0एल0 ग्वालियर भेजा गया था जिसकी जांच रिपोर्ट प्र0पी0-24 प्राप्त हुई थी। प्र0पी0-24 की रिपोर्ट के अवलोकन से भेजी गई खून आलूदा व सादा मिट्टी, पत्थर के टुकड़े, मृतक का अण्डरवियर बनियान, व पेन्ट शर्ट व आरोपी हरीमोहन के आधिपत्य से साफ़ी की जप्ती कर उन्हें जांच हेतु भेजा गया किन्तु प्र0पी0-24 की जो जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई है उसमें चड़ड़ी बनियान पर कन्ट्रॉल नमूना प्राप्त नहीं हुआ है। पत्थर का टुकड़ा जिस पर खून के धब्बे थे और घटनास्थल की मिट्टी तथा साफ़ी पर पाये गये धब्बे विघटित थे। इस तरह से प्र0पी0-24 की रिपोर्ट अभियोजन के मामले को पुष्ट करने हेतु पर्याप्त नहीं है और उस पर से कोई निष्कर्ष प्राप्त नहीं किया जा सकता है।

58. विवेचक अ0सा0-19 ने यह स्वीकार किया है कि घटना के करीब पांच महीने बाद आरोपी राजेश उर्फ ललैया का मेमोरेण्डम कथन लिया गया था। प्र0पी0-8 लगायत 13 की कार्यवाही दिनांक 23.02.07 की है और घटना 21-22 सितंबर 2006 की रात्रि की

बताई गई है। आरोपीगण आर्टिकल ए-1 मुताबिक दिनांक 03.01.07 को थाना झांसी रोड़ जिला ग्वालियर में दरयाफ्त हो चुके थे। और आर्टिकल-ए-1 की एफ0आई0आर0 के वृत्तांत का घटना में खुलासा होना बताया गया था। उसके बावजूद आरोपीगण के ज्ञापन लिये जाने में जो विलंब हुआ है वह भी संदेह उत्पन्न करता है क्योंकि विवेचक ने विलंब से आरोपीगण से पूछताछ में कोई भी स्पष्टीकरण अपने अभिसाक्ष्य में नहीं दिया है। जबकि मर्ग जांच एफ0आई0आर0 उसके निर्देशन में हुई। विवेचना उसने स्वयं की और शव परीक्षण प्रतिवेदन में भी गला घोटने से मृत्यु का कारण स्पष्ट आ चुका था उसके बावजूद चिकित्सक ने बाद में कोई क्वेरी जप्त वस्तुओं के आधार पर न की जाना विवेचक की कार्यवाही को संदिग्ध बनाता है।

59. राहुल शर्मा अ0सा0-19 ने पैरा-16 में यह भी स्वीकार किया है कि उसने मृतक की अज्ञात लाश की शिनाख्ती के लिये पेपर में कोई प्रकाशन नहीं किया था बल्कि जिले एवं संभाग के सभी थानों को रेडियो मैसेज से सूचना दी गई थी। समाचार पत्रों में प्रकाशन की कार्यवाही के पहले ही मृतक के घर वाले आ गये थे और मृतक की पहचान कर ली गई थी। वह यह भी स्वीकार करता है कि आम व्यक्ति को रेडियो मैसेज नहीं मिलता है। उसने यह भी कहा है कि अज्ञात लाश मिलने पर उसने अज्ञात व्यक्ति के पैम्पलेट्स छपवाकर वितरित करवाये थे। यह भी स्वीकार किया है कि लाश पंचायतनामा में मृतक का फोटो खिंचवाये जाने का उल्लेख नहीं किया है जिसकी वह आवश्यकता न होना कहता है और केसडायरी में उल्लेख बताता है। लेकिन केसडायरी उसके अभिसाक्ष्य मुताबिक उसके द्वारा नहीं देखी गई है जिससे केसडायरी में फोटो खिंचवाये जाने का उल्लेख नहीं किया है जिसकी वह आवश्यकता न होना कहता है और केसडायरी में उल्लेख बताता है लेकिन केसडायरी उसके अभिसाक्ष्य मुताबिक उसके द्वारा नहीं देखी गई है जिससे केसडायरी में फोटो खिंचवाये जाने का उल्लेख वह रंजिश के तौर पर कहता है। जिस फोटो की मृतक के पिता एवं प्रेमप्रकाश द्वारा शिनाख्ती की गई, वह फोटो अभिलेख पर पेश नहीं हैं जो विवेचक ने भी स्वीकार किया है।

60. राहुल शर्मा अ0सा0-19 के द्वारा आर्टिकल ए-1 लगायत ए-3 के बारे में यह तो बताया है कि उसने संबंधित थाना कंपू एवं झांसी रोड़ से उक्त दस्तावेज की सत्यापित प्रति प्राप्त की थी लेकिन कब प्राप्त की थी, तथा उसे यह जानकारी कब हुई कि झांसी रोड़ थाने में आरोपीगण के द्वारा घटना का खुलासा किया गया है तथा कब उसने जानकारी मिलने के बाद कार्यवाही प्रारंभ की, इस बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं है और प्र0पी0-8 लगायत 13 के साक्षियों में से जितेन्द्र के बारे में वह स्थिति स्पष्ट नहीं कर सका है। जिस साफी को घटना से और आरोपी हरिमोहन से जोड़ना बताया है उसके जप्ती पत्रक प्र0पी0-12 में इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि साफी जमीन में गढ़ी थी और उसे खोदकर निकाला गया जैसा कि विवेचक पैरा-20 में पत्थर गड्ढे से खोदकर साफी को निकाला जाना बताता है। इस तरह से विवेचक की कार्यवाही स्वच्छतापूर्वक होना स्पष्ट नहीं होता है। ऐसी स्थिति में जो विरोधाभास और विषंगतियाँ एवं आधिक्य प्रकट हुआ है, वह भी घटना को संदिग्ध बनाता है।

61. विवेचक के अभिसाक्ष्य में यह भी आया है कि मर्ग की विवेचना के दौरान कोई मोबाईल जप्त नहीं हुआ था। वह घटना के समय या उसके पूर्व मृतक मोबाईल रखता था, इस बारे में कोई तथ्य ज्ञात न होना कहता है। जबकि हरीश तलरेजा और बारेलाल के अभिसाक्ष्य में जो तथ्य आये हैं उससे यह प्रकट होता है कि मृतक मोबाईल रखता था क्योंकि घटना के पूर्व बारेलाल से मृतक की बातचीत भी हुई थी। उसके बारे में न तो कोई अनुसंधान किया गया न ही मृतक के द्वारा धारित मोबाईल में किस नंबर की किस

कंपनी की सिम थी और उसको ज्ञात कर कोई कॉल डिटेल निकलवाई जाकर उससे अनुसंधान किया गया है। ऐसे में विवेचक की अभिसाक्ष्य के आधार पर उसके द्वारा तैयार किये गये दस्तावेज प्रमाणित नहीं माने जा सकते हैं तथा साक्षियों के कथनों को लिपिबद्ध करने में किया गया विलंब भी स्पष्टीकरण के अभाव में संदेह उत्पन्न करता है।

62. बंगालीसिंह अ0सा0-12 जिसके द्वारा घटना पूर्व मृतक और आरोपीगण को एकसाथ देखा गया था, उसका कथन अत्यधिक विलंब से दिनांक 26.02.07 को लिया जाना और उसका कोई कारण न बताया जाना भी संदेह उत्पन्न करता है। जबकि उसका कथन प्रारंभिक स्तर पर ही लिया जाना चाहिए था। विवेचक ने यह भी स्पष्ट नहीं किया है कि उसे बंगालीसिंह का कथन लेने के लिये कब जानकारी संज्ञान में आई जबकि आरोपीगण ने प्र0पी0-8 लगायत 10 के धारा-27 साक्ष्य विधान के ज्ञापनों में ऐसा कोई तथ्य प्रकट नहीं हुआ कि घटना पूर्व आरोपीगण मृतक सहित बंगाली सिंह के घर ग्राम बकनासा गये थे और वहाँ आधा पौन घण्टा रुके थे, चाय पानी आदि ग्रहण किया था। ऐसे में विवेचक के अभिसाक्ष्य के आधार पर कोई भी आरोप युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं माना जा सकता है।

63. इस प्रकार से उपरोक्त समस्त साक्ष्य, तथ्य परिस्थितियों के विस्तृत और सूक्ष्मता से मूल्यांकन किये जाने पर आरोपीगण हरीमोहन राठौर, राजेश उर्फ ललैया भदौरिया एवं संदीप भदौरिया का डकैती प्रभावित क्षेत्र बरौना का हार पोखरिया वाली पुलिया थाना एण्डोरी जिला भिण्ड में आपस में मिलकर एक राय होकर मृतक सौरभ चतुर्वेदी के आधिपत्य की क्वालिस गाड़ी क्रमांक- एच0आर0-37 ए/7428 की लूट करना और उसकी साशय हत्या करते हुए हत्या व लूट की साक्ष्य को विलोपित स्वयं को दण्ड से बचाने के उद्देश्य से किया जाना युक्तियुक्त संदेह से परे कतई प्रमाणित नहीं पाया जाता है। इसलिये आरोपीगण विरचित आरोपों से दोषमुक्ति के न्यायिक रूप से पात्र होना पाये जाते हैं। फलतः आरोपीगण को धारा 394, 302, 34 भा0द0वि0 सहपठित धारा-11, 13 एम0पी0डी0व्ही0पी0के0 एक्ट एवं विकल्प में धारा-396, 302, 201 सहपठित धारा-11, 13 एम0पी0डी0व्ही0पी0के0 एक्ट के आरोपों से संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाता है।

64. आरोपीगण हरीमोहन व संदीप जमानत पर हैं अतः उनके जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

65. आरोपी राजेश उर्फ ललैई उर्फ ललैया न्यायिक निरोध में है अतः उसके जेल वारण्ट पर नोट लगाया जावे कि आरोपी को इस प्रकरण में दोषमुक्त किया जा चुका है अतः यदि उसकी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो तो उसे इस प्रकरण में तत्काल रिहा किया जावे।

66. प्रकरण में अभी आरोपीगण जसवंत एवं मुन्नालाल सोनी फरार हैं, अतः प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति के संबंध में अंतिम निष्कर्ष उक्त दोनों आरोपीगण के विचारण उपरान्त ही दिया जा सकेगा। अतः प्रकरण का अभिलेख सुरक्षित रखा जावे।

67. निर्णय की एक प्रति डी0एम0 भिण्ड की ओर भजी जावे।

दिनांक: 30.12.2015

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर
खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(पी.सी. आर्य)

विशेष न्यायाधीश डकैती गोहद

(पी.सी. आर्य)

विशेष न्यायाधीश डकैती गोहद

गोहद जिला भिण्ड

गोहद जिला भिण्ड

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)